राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, सोमवार, दिनांक २६ सितम्बर, १६५५

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर, में ८.३५ बजे प्रातः प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री सरदारसिंह।

प्रश्न संख्या १

टोंक जिले की विभिन्न तहसीलों में मल्टीपर्पज़ पाठशालाएं खोलने की योजना

श्री सरदारसिंह (वि० सं० १३७)—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने टोंक जिले की कौन कौन सी तहसीलों के किन किन स्थानों पर मल्टीपर्पज़ स्कूल्स खोलने का निश्चय किया है ?

(ख) ये स्कूलें कब तक खुल जावेंगी ?

(ग) इन स्कूलों के लिये किस आधार पर स्थान उपयुक्त समझ कर निश्चित किये गये हैं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—

(क) टोंक जिले में सिर्फ वनस्थली विद्यापीट, तहसील निवाई, को मल्टीपर्पज़ स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) मल्टीपर्पज़ स्कूल की पढ़ाई चालू हो चुकी है।

(ग) निम्नलिखित आधार पर स्थानों का निश्चय किया गया है :

१. स्कूलों की साईज़ एवं छात्रों की संख्या।

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

२. शिक्षण केन्द्र अर्थात् आसपास की शिक्षण संस्थाओं की संख्या को देखते हुये स्थान चुने गये हैं।

३. हाईस्कूल में पढ़ाये जाने वाले एच्छिक विषय ।

श्री सरदारसिंह—वनस्थली के अलावा और दूसरी जगह भी इस तहसील में ऐसे मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने का विचार है या नहीं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—राजस्थान में कुल २५ मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने का था, उनमें से इस जिले में एक स्कूल हिस्से में दिया गया है ।

श्री मोहब्बत सिंह—जब कि प्रत्येक जिले को एक एक मल्टीपर्पज़ स्कूल दिया गया है तो सिरोही जिले को क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष– नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २

टोंक जिले की विभिन्न तहसीलों में डेवलपमेंट ब्लॉक्स खोलने के आधार

श्री सरदारसिंह:—क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) डि० टोंक में किन २ तहसीलों में किस २ आधार पर और कितनी २ लागत के डेवलपमेंट ब्लॉक्स खोले गये हैं ?

(ख) अब तक की उनकी क्या प्रोग्रेस है ?

(ग) अब इस जिले में और किस २ जगह नये ब्लॉक्स (Blocks) खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री रामकिशोर व्यासः (विकास मन्त्री)— (क) जिला टोंक की तहसील मालपुरा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र खोला गया है ।

(ख) मालपुरा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने के निम्नलिखित कारण थे:

१. वहां पहले से ही एक ग्राम विकास केन्द्र था ।

२. सिंचाई के साधन और वर्षा का निश्चित परिमाण होना जिससे विशेष प्रयत्न करने पर अच्छे परिणाम निकल सकें ।

(ग) तीन वर्ष के लिये कुल बजट साढे सात लाख रुपयों का है ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(घ) अब तक का कार्य संतोषप्रद है ।

(ङ) यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सरदारसिंह—मालपुरा तो पहले से ही टोंक डिस्ट्रिक्ट में, सब डिविजन में डेवेलप्ड है; जो पिछड़ी हुई जगहें हैं वहां पहले क्यों नहीं खोला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां इर्रिगेशन की अच्छी फेसिलिटीज़ होती हैं वहीं डेवेलपमेंट ब्लॉक्स खोले गये हैं ।

कुं०श्री जसवन्तसिंह—क्या इस जिले में मालपुरा में ही सबसे अच्छे इर्रिगेशन के साधन हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ हद तक यह भी कहा जा सकता है, पर Rural development centre क्षेत्र वहां पहले से था ।

कुं०श्री जसवन्तसिंह—सब से अच्छी इरिगेशन की फेसिलिटीज़ किस जगह हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो अलग प्रश्न पूछने पर बताया जा सकता है ।

कुं०श्री जसवन्त सिंह—मालपुरा सब से अच्छी इर्रिगेशन की फेसेलिटी नहीं रखता, फिर भी वहां डेवेलेपमेंट ब्लॉक खोलने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्योंकि वह नेशनल वेलफेयर एक्सटेन्शन के लिये टोंक डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी जगह है ।

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)—क्योंकि वह मालपुरा ही तो है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३

सिरोही गौशाला एवं डेरी को भूतपूर्व सिरोही राज्य की ओर से भूमि देना

श्री जवानसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही गोशाला तथा डेरी को कितनी जमीन भूतपूर्व सिरोही स्टेट द्वारा कहां दी गई थी ?

(ख) क्या उपरोक्त जमीन के पास काश्तकारों को भी कुछ जमीन देने के लिये कार्यवाही हुई थी ?

(ग) अगर हां, तो इस जमीन का क्या प्रयोग हुआ ?

[श्री जवानसिंह]

(घ) क्या यह सही है कि काश्तकारों के खर्च से गोशाला तथा डेरी की जमीन का माप लिया गया और सिरोही तहसील द्वारा उसके पास की जमीन काश्त के लिये देने की तज़वीज़ की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) भूतपूर्व सिरोही राज्य द्वारा ४७५६ बीघा और ३ बिस्वा जमीन डावा जोड़ में से गोशाला को दी गई थी।

(ख) डावा जोड़ और पहाड़ी की बीच की भूमि काश्तकारों को देने का सरकार का विचार था लेकिन गोशाला के विरोध करने के कारण उस समय ऐसा नहीं किया गया।

(ग) इस उपरोक्त जमीन के पास की भूमि को काश्तकारों को देने के लिये आज्ञा दे दी गई है।

(घ) एसिस्टेन्ट सेटलमेंट ऑफीसर ने जोड़ के साथ की जमीन की नाप-जोख के सिलसिले में कुछ काश्तकारों से जो कि उसके आसपास की जमीन के उम्मीदवार थे कुछ मदद ली थी, किन्तु कोई रकम उनसे वसूल नहीं की गई।

श्री जवानसिंह—क्या अब भी बहुत सी दरख्वास्तें सरकार के सामने मौजूद हैं, जिनको जमीनें नहीं दी गई हैं और विचाराधीन हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनको जमीनें देने के लिये आज्ञा जारी कर दी गई है और उन्हें जमीनें जल्दी मिलने वाली हैं।

श्री जवानसिंह—यह आज्ञा कब जारी की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख इस वक्त उपलब्ध नहीं है।

श्री जवानसिंह—उनकी संख्या कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह आवश्यक है कि यह जमीनें गोशाला के लिये दी जानी चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गोशाला के लिये जरूरी थी इसलिये दी गई हैं।

श्री भैरूसिंह (वि.सं. १६)—क्या यह सही है कि अभी जिस भूमि को काश्तकारों को तकसीम करने का विचार है वह जमीन भी गोशाला की ही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह गोशाला की भूमि नहीं है, वह गौशाला के बराबर की भूमि है।

श्री भैरूसिंह—क्या गोशाला के पास वाली जमीन गोशाला के काम के लिये उचित नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो गोशाला को जमीन दी गई है वह गोशाला के लिये काफी है।

श्री भैरूसिंह—वह जमीन गोशाला से कितनी दूरी पर है?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह जमीन गोशाला से मिली हुई है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि चराई के लिये गोशाला को इस जमीन की आवश्यकता है और यह जमीन ज्यादा सुविधाजनक है?

श्री दामोदरलाल व्यास—चराई के लिये अलग जमीन है।

श्री भैरूसिंह—क्या वह जमीन चराई के लिये काम नहीं आती है?

श्री दामोदरलाल व्यास—गौशाला के मवेशियों की चराई वहां नहीं होती है।

श्री जवानसिंह—क्या गोशाला के जानवरों की चराई के लिये जो जमीन रक्खी गई है वह सरकार उनकी चराई के लिये काफी समझती है?

श्री दामोदरलाल व्यास—हां, काफी है।

श्री भैरूसिंह—काश्तकारों को भूमि देने की आज्ञा कब दी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूसिंह—जो जमीन काश्तकारों को दी जा रही है, क्या उस जमीन में से होकर गायें जो चरने जातीं हैं उनके लिये रास्ता निकाला जावेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास—रास्ता निकाला जावेगा।

श्री भैरूसिंह—अगर कोइ रास्ता नहीं होगा तो कैसे निकाला जावेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर कोई रास्ता नहीं होगा तो फिर भी स्थिति को देखकर कोई न कोई रास्ता निकाला जावेगा।

श्री संतोषसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक गाय की चराई के लिये कितनी जमीन सरकार निर्धारित करती है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५

सिरोही जिले के जागीरदारों का ट्रिब्यूट उनके काश्तकारों से बांटा वसूल करने के आधार पर

श्री जवानसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के जागीरदारों का ट्रीब्यूट उनके काश्तकारों से १।३ व १।४ बांटा वसूल करने के आधार पर तय किया गया था ?

(ख) अगर हां, तो क्या १।६ बांटा के लागू हो जाने पर भी उनसे उसी मात्रा में कमी कर ट्रीब्यूट वसूल किया जाता है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) यह सही है कि सिरोही स्टेट में जो लगान जागीरदार काश्तकारों से वसूल करते थे उसी आधार पर स्टेट डिमान्ड कायम की गयी थी।

(ख) अभी तक वही डिमान्ड वसूल की जाती है जो कि पहले तय हुई थी।

(ग) सरकार इस विषय में प्रत्येक जागीर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर रही है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् स्टेट् डिमान्ड में संशोधन किया जा सकेगा।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि पहले की आमदनी से अभी की हमारी आमदनी की दरें घट गई हैं और ट्रीब्यूट आमदनी से आधार रखती है ? इस सम्बन्ध में सरकार के पास आवेदनपत्र आया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी कुछ दिन पहले आया था।

श्री मोहब्बतसिंह—कुल कितना प्रतिशत उनको दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सिरोही जिले में १।३ से लगा कर १।१२ हिस्से तक डिमान्ड कायम की गई है, ऐसी सूचना है। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त करने के बाद आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री मोहब्बतसिंह—लगान जितना वसूल किया जाता है उसका कितना प्रतिशत दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया कि १।३ से १।१२; डिफ्रेन्ट गांवों में डिफ्रेन्ट सिस्टम है। यह अलग अलग गांवों से डिफर करती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपने फरमाया कि आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह आवश्यकतानुसार कार्यवाही का प्रश्न, जैसा आपने फरमाया कि डिमान्ड को लगान पर तय किया

[कु० श्री जसवंतसिंह]

गया; जैसे १।३ या १।४ या १।८ प्रोपोर्शनेट ट्रीब्यूट ली जावेगी; तो जब काश्तकारों के लगान एक से कर दिये गये तो ओटोमेटिकली यह उचित होता है कि सरकार आवश्यकतानुसार करे या उचित समझ कर करे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह अर्ज किया कि हरएक जागीरदार की डिमान्ड की जांच की जा रही है और अगर आवश्यकता होगी तो कुछ करेगी।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि सिरोही जिले में १।६ से ज्यादा बांटा नहीं लेते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह नहीं लेना चाहिये।

श्री मोहब्बतसिंह—आपने बताया कि १।३ से १।१२ तक....

श्री दामोदरलाल व्यास—सिरोही में १।३ से १।१२ तक हिस्सा अलग अलग जगह अलग अलग लिया जाता है, इसलिये हरएक की जांच कराना आवश्यक है और जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् स्टेट डिमान्ड में यदि संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो करेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो ट्रिब्यूट वसूल की जाती है उसका केवल १।१०० वां हिस्सा सरकार को ट्रिब्यूट के रूप में दिया जाता है, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि यह गलत है कि १।१०० देते हैं। सिरोही में पुराने तरीकों के अनुसार पहले १।३ था और पहले १५ साल के बाद १५ प्रतिशत और ट्रिब्यूट बढ़ जाती है। अगर वही प्रोसीज़र जारी रखें तो वह जागीर अपने आप समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिये अब १।६ है।

श्री मोहब्बतसिंह—आपने जो यह जानकारी दी कि सिरोही में १।१२ हिस्सा तक लेते हैं, यह सही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी सूचना है।

श्री मोहब्बतसिंह—मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि यह आपकी सूचना गलत है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

रावल श्री शम्भूसिंह—आपने बताया कि जांच करने के बाद आवश्यकता होगी तो संशोधन किया जावेगा, यह जाँच कब तक समाप्त कर दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी से जल्दी।

श्री भैरूसिंह (वि. सं. १६)—अगर ट्रिब्यूट ज्यादा ली जावेगी तो....

श्री अध्यक्ष—No hypothetical question.

श्री दामोदरलाल व्यास—आपका प्रश्न समझ नहीं सका।

श्री भैरूसिंह—मैं दुबारा प्रश्न बोल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—हाइपोथेटिकल प्रश्न नहीं पूछ सकते। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५

भेड़ व ऊन की उन्नति के लिये उद्योग विभाग द्वारा सदस्यों की नियुक्ति तथा बाडमेर में उनको सुविधाएँ

श्री तनसिंह—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाडमेर तहसील में भेड़ व ऊन के उन्नति विभाग द्वारा कितने सदस्य बनाये गये और वे कौन २ हैं?

(ख) बाडमेर के उन सदस्यों को आज तक क्या २ सुविधाएँ दी गई हैं?

(ग) उक्त सदस्यों के पास सदस्य बनाने के वक्त कितनी भेड़ें थीं और अब कितनी भेड़ें हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) इस समय बाडमेर में एक भेड़-पालक संघ है, जिसमें ११ सदस्य हैं। उनके नाम ये हैं—

१. श्री अम्बसिंह
२. श्री शम्भूसिंह
३. श्री नाथूसिंह
४. श्री सांगसिंह
५. श्री दानों
६. श्री तुलसासिंह
७. श्री विजयसिंह
८. श्री फूसाराम जाट
९. श्री भंवरसिंह
१०. श्री माधोसिंह
११. श्री रूपा पुरोहित

[श्री भोगीलाल पण्डया]

(ख) इस संस्था को ५० रुपये की अर्थ सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त दवाइयां, ऊन कतरने की कैंचियां और अन्य टैक्निकल सहायता भी दी गई। इसके साथ ही, (१) संघ के सदस्य भेड़ पालकों को वैज्ञानिक ढंग से भेड़ पालन करने की नवीनतम प्रणालियों से अवगत कराया गया और उन्हें उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया।

(२) भेड़ों की नसल सुधार के लिये अच्छे व उन्नत ढंग से भेड़ें रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया और इसके लिये सदस्यों के भेड़ के झुण्ड में से खराब किस्म की भेड़ों को खस्सी करने या हटाने का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त सदस्य भेड़पालकों के भेड़ों को स्थानान्तर करके उन्हे भेड़े बदलने की सुविधा दी गई।

(३) संघ के सदस्य भेड़पालकों के भेड़ों में रोगों की रोकथाम की व्यवस्था की गई।

(४) सदस्यों को आधुनिक ढंग से ऊन कतरने का प्रदर्शन दिया गया, और उन्हें वैज्ञानिक ढंग से नई कैंचियों के प्रयोग के लिये प्रोत्साहन दिया गया। विभिन्न अवसरों पर उन्हें ऊन कतरने के लिये नई कैंचियां दी गई। ऊन के कतरने के बाद भेड़ पालकों को अपनी ऊन अच्छे बाजार भाव पर बेचने की सुविधायें दी गई।

(५) भेड़ों की नसल सुधार के प्रयत्न किये गये।

(६) अच्छे व उन्नत नसल के मेंढ़ों के लिये भेडपालकों से आवेदनपत्र आमंत्रित किये गये।

(७) वर्तमान भेड पोषण संघ को एक सहकारी ऊन उत्पादक समिति बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि निकट भविष्य में इसे एक सहकारी समिति बनाकर ऋण देने की व्यवस्था की जावेगी।

(८) संघ के सदस्यों के भेडों की चराई की कठिनाइयों को हल किया जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ये सब सुविधाएं ५०, रुपयों का जो गवर्नमेंट कन्सेशन देती है उसमें शामिल हैं या अलग ?

श्री भोगीलाल पंडया—५० रुपयों की सहायता के अतिरिक्त ये सब और सुविधाएं दी हैं। इस संस्था के बनने से पूर्व सदस्यों के पास ६५५ भेड़े थी और अब ६५५ हो गई हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी आपने लिस्ट बताई सदस्यों की और पढ़ी जिसमें विधान सभा के सदस्य भी हैं।

श्री भोगीलाल पंडया—नहीं, भेड़ पालक संघ के सदस्य हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—ऐसा कोई भेड़पालक संघ असेम्बली में है क्या ?

श्री भोगीलाल पंडया—मेरे ख्याल से असेम्बली में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि.....

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—११ सदस्य कब से बनाये गये हैं?

श्री भोगीलाल पंडया—तारीख तो आपने नहीं पूछी है, कृपया दुबारा प्रश्न पूछियेगा तो मैं मालूम करके बता दूंगा।

श्री तनसिंह—इतनी सुविधाएं ११ सदस्यों को दी हैं तो वे किस भेड पालक संघ के हैं?

श्री भोगीलाल पंडया—मैंने अपने उत्तर में कहा था कि प्रदर्शन किये जाते हैं, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, जिनको सब देखते हैं और सब ही लाभ उठाते हैं।

श्री तनसिंह—क्या बाडमेर तहसील में ऐसा कोई स्थान बता सकते हैं कि जहां इस तरह प्रदर्शनी की गई?

श्री भोगीलाल पंडया—जितनी बातें आप जानना चाहते हैं उसके लिए अलग से प्रश्न पूछियेगा तो मैं जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री तनसिंह—मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाडमेर तहसील में किसी जगह कोई प्रदर्शनी की गई?

श्री भोगीलाल पंडया—अलग से प्रश्न पूछियेगा तो मैं आपको तारीख और संख्या बता दूंगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—संख्या का सवाल नहीं है। माननीय मंत्रीजी से एक सदस्य ने यह सवाल पूछा था जिसका उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है। यह तो माननीय मंत्रीजी फरमावें कि वे उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री भोगीलाल पंडया—यदि प्रश्न पढ़ लेते तो यह प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही नहीं होती।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि वह प्रदर्शनी कहां की गई?

श्री भोगीलाल पंड्या—इतनी सारी प्रदर्शनियां की गईं, किन किन स्थानों को बताऊं।

श्री अध्यक्ष—बाडमेर जिले में कहां कहां प्रदर्शन किये?

श्री भोगीलाल पंड्या—जानकारी कर बतलाया जा सकता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—किसी एक का भी नाम बताइये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बाडमेर के लिये मुझे अभी नाम याद है नहीं। आप अलग से प्रश्न पूछियेगा तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—क्या सरकार उचित समझती है कि भेड़ पालन का काम 'सिंहों' के हाथ में दे दिया जाय।

(हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—नाम आपने पूरे सुने नहीं, 'सिंह' के सिवाय और भी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय-मंत्रीजी यह बता देने की कृपा करेंगे कि साधन देने पर इतने भेड़ों की तादाद कैसे बढ़ गई।

(हंसी)

श्री तनसिंह—६०० से ६०० भेड़ें हो गईं हैं यानि ३०० भेड़ें और बढ़ गई हैं। तो क्या एक सदस्य के ही इतनी हुई हैं या कुछ ऐसे भी सदस्य हैं कि जिनके यहां एक भी भेड़ नहीं हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—६०० से ६०० भेड़ें हुईं, यानि तीनसो भेड़ें बढ़ गईं; यह मैंने बताया।

श्री तनसिंह—क्या इस प्रकार अन्य जगह भी भेड़ पालक संघ कायम किये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री जसवन्तसिंह—पचास रुपये सहायता देने की जो बात कही तो वह सालाना दी जाने वाली है या एक बार ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक बार।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जो भेड़ पालक संघ को सुविधाएं देने के लिए कहा है तो क्या उसमें चारागाह शामिल नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उत्तर में कहा था; क्या मैं फिर पढ़ूं ?

श्री अध्यक्ष—नहीं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जितने सदस्य हैं तो हर एक के पास निज की कितनी कितनी भेड़ें हैं ?

कु • श्री जसवन्तसिंह—बाडमेर में प्रदर्शनी की गई, तो माननीय मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी या अन्य किसके द्वारा उद्घाटन किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मेरे द्वारा नहीं किया गया, यह मैं बता दूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—सब जगह तो मंत्री नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह प्रदर्शनियां हुई हैं ?

(हंसी)

श्री जयनारायण व्यास—क्या ये रजिस्टर्ड संस्थायें हैं या जो मेम्बर बने हैं उनकी एक संस्था है।

श्री भोगीलाल पंड्या—आवश्यक समझकर मेम्बर बनाये हैं, जिनकी एक संस्था है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६

बाडमेर से चोहटन की सड़क की एक्वायर की गई भूमि के स्वामियों को मुवावजा

श्री तनसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे—

(क) बाडमेर में चोहटन जाने वाली सड़क की भूमि एक्वायर होने पर मुवावजे के लिये दावेदारों की दरख्वास्तों के लिए मियाद की आखरी तारीख कौनसी थी ?

(ख) मियाद के अन्तर्गत कितनी दरख्वास्तों पर जांच की जा रही है और कब से की जा रही है ?

(ग) अब तक कितनी दरख्वास्तें जेर तज़वीज़ हैं और उनके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या जिन दावेदारों का मुवावजा तय हो चुका है उनमें से किसी भी व्यक्ति को रुपया अब तक दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) लैंड एक्वीज़िशन की धारा ६ के अनुसार अभी तक विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई। विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख मियाद नियत कर दी जावेगी।

(ख) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Page No.13

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(घ) यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री तनसिंह—इस सड़क को बने हुये कितने वर्ष हो गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—करीब तीन साल होगये।

श्री तनसिंह—इन तीन सालों में सड़क बन कर भी तैयार हो गई, किन्तु विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पहले लैंड एक्वीजिशन की धारा ५ के अनुसार विज्ञप्ति जारी की गई और अब धारा ६ के अनुसार जारी की जावेगी और फिर इसका फैसला किया जावेगा।

श्री तनसिंह—क्या कुछ दावेदारों ने दरख्वास्तें दी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री तनसिंह—वे कितनी दरख्वास्तें हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री तनसिंह—मैंने यह पूछा है कि कितनी दरख्वास्तें जेर तज़वीज़ हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लैंड एक्वीजिशन की धारा ६ के अनुसार कार्यवाही जेर तजवीज है। दरख्वास्तें अभी आई नहीं हैं।

श्री तनसिंह—मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा है कि धारा ६ के अन्तर्गत नोटिस दिया और मुवावजे के लिए कितनी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, किन्तु इस जमीन को एकायर नहीं करने के बारे में कितनी दरख्वास्तें आई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दफा ६ के मातहत मुवावजे की दरख्वास्तें आती हैं।

श्री तनसिंह—ऐसी कोई दरख्वास्त है कि जिसकी इन्कायरी होकर फैसला हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दफा ४ के अन्दर काफी फैसले हो चुके हैं।

श्री तनसिंह—कितना अर्सा हो गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अर्से के लिये अलग से प्रश्न पूछियेगा।

श्री अध्यक्ष— श्री किशनलाल शाह।

प्रश्न संख्या ७

नावां तहसील में इस वर्ष रबी की फसल की बीघोड़ी के रकम की वसूली

श्री किशनलाल शाह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें ?

(क) नावां तहसील में इस वर्ष रबी की फसल की बीघोड़ी के कितने रुपये वसूल हो चुके हैं और कितने वसूल होने बकाया हैं ?

(ख) मींडा टीकाना (तहसील नावां) में रेखचाकरी की कितनी रकम बकाया है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त ठिकाने में रेखचाकरी की बकाया रकम ठिकाने को माफ करने के आदेश दिये हैं ? यदि नहीं, तो वह रकम वसूल क्यों नहीं की गई ? क्या सरकार अब वसूल करने का विचार रखती है ?

(घ) नावां तहसील में किन किन ठिकानों में कितनी कितनी रकम रेखचाकरी की बकाया है ? अलग अलग से सूची दिलावें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) नावां तहसील में इस वर्ष रबी की फसल की बीघोड़ी के १८,६६४ रु० ३ आने ९ पा० वसूल हुये और १,४७० रु० ७ आने लगान के वसूल होने बाकी है।

(ख) मींडा टिकाने में रेखचाकरी के ६३,८६१ रु० १३ आने ६ पाई बाकी हैं।

(ग) जी नहीं। उक्त ठिकाने में बकाया रेखचाकरी की रकम ठिकाने को माफ करने के आदेश नहीं दिए गये हैं। वसूली नहीं करने का कारण यह है कि जागीरदार ने उक्त बकाया के खिलाफ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

(घ) तहसीलदार नावां से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है।

(चुप्पी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—लास्ट पार्ट का उत्तर नहीं दिया गया है नावां तहसील में किन किन ठिकानों में कितनी रकम रेखचाकरी की बकाया है ? अलग अलग नाम से सूची दिलावें।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, प्राप्त हो जायगी तो सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रेखचाकरी के सिलसिले में देरी से सूचना प्राप्त होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—देरी से तो नहीं मुकम्मिल सूचना नहीं आई है, इसलिए बाद में सदन की मेज पर रख दूंगा प्राप्त हो जाने पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब मेच्योर हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सूचना आई नहीं है इसलिए कैसे कह सकता हूँ कि कब मेच्योर हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फाइनेन्शियल स्टेटमेंट में लिखा जाता है तो उस डेट में, एग्रीकल्चर में लिखा जाता है तो उस डेट में यह कब मेच्योर हुआ, साल भर पहले या दो साल पहले ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किस टिकाने के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—नावां तहसील के बारे में ।

श्री दामोदरलाल व्यास—उन टिकानों की सूचना नहीं आई है इसलिए आगे सवाल नहीं उटता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सात सात साल की रेखचाकरी बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस सिलसिले में एतराज पेश करने पर मामला स्थगित हो गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास—जाँच की जा रही है । जाँच पर फैसला करके वसूली की जायगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुछ सालों की जाँच अब तक चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक टिकाने के लिए बता दिया, तहसीलदार से जाँच करके रिपोर्ट मांगी है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— In respect of which year the enquiry is still not completed ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह ६३,८६१ रु० की रकम बाकी है, उसके मुतल्लिक इन्क्वायरी की जा रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इससे यह समझा जाय कि जितनी भी रकम बाकी है उसके सिलसिले में कार्यवाही पूरी हो चुकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी तक जाँच की जा रही है, अगर जांच पूरी हो चुकी होती तो मैं जबाब दे देता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लोंगेस्ट पेन्डिग इन्क्वायरी कितने वर्ष की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मीव टिकाने की है, और किसी की सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी ने इस सम्बन्ध में कन्सेशन के लिए एप्लाइ किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न है ।

श्री मानसिंह महार—क्या माननीय मंत्री महोदय आयन्दा से प्रश्नों का उत्तर समय पर देने का कष्ट करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोशिश तो की जाती है, फिर भी किसी कारणवश जवाब बक्त पर नहीं आते तो मजबूरी है।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इसी प्रकार टाला जाता है, यह आम शिकायत है ।

श्री तनसिंह—इसमें प्रयास और कोशिश की तो विशेष आवश्यकता नहीं । अगर माननीय मंत्री महोदय कष्ट करें तो जवाब मिल सकते है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने जागीर कमीश्नर को इस प्रकार का आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी न हो तब तक कम्पेन्सेशन का पेमेंट नहीं किया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रकार के तो आदेश तो हैं ही कि रेख चार्जेज़ की जितनी भी रकम बाकी है उसको कम्पेन्सेशन की रकम में शामिल कर लिया जाय ।

प्रश्न संख्या ८

राजस्थान में लगाई गई व लगाई जाने वाली पवन चक्कियें

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में पवन चक्कियां लगाने की काफी सुविधायें हैं ?

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा पवन की गति को नापने के लिये क्या कोई परीक्षण केन्द्र खोले गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो कब और कहां कहां ?

(घ) राजस्थान में कहां पवन चक्कियां लगाई जा चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) प्राकृतिक अन्वेषण विभाग, भारत सरकार की तरफ से यहां पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु समाचार पत्रों से मालूम हुआ है....

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुनाई नही देता लाउड स्पीकर में गड़बड़ मालूम देती है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—(जोर से पूर्व उत्तर के क्रम में) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के

[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

प्राकृतिक अन्वेषण विभाग से सरकारी तौर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन समाचार पत्रों से मालूम होता है कि राजस्थान में हवा का वेग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए जानकारी प्राप्त करने को भारत सरकार को लिखा गया है।

(ख) (ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से मुमानियत है कि इस तरह की चक्कियां नहीं लगाई जांय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक जगह तो लगाई जा चुकी है भारत सरकार की इस संबंध में योजना है और उस योजना के अन्तर्गत यहां के लिए भी भरसक प्रयत्न किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—इतने दिन तक क्यों प्रयत्न नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जैसा कि अपने उत्तर में कहा इस सम्बन्ध में भारत सरकार परीक्षण कर रही है। उसकी रिपोर्ट के बाद यहां पर इस संबंध में कार्यवाही की जायगी।

श्री मानसिंह महार—डूंगरपुर में कितनी पवन चक्कियां लगाई जायेंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी तक तो एक भी नहीं है, किन्तु भारत सरकार से सूचना प्राप्त होने के बाद जितनी आवश्यकता होगी अधिक से अधिक लगाने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—भारत सरकार को इस संबंध में कब लिखा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब हमें मालुम हुआ है, उसके दो दिन बाद लिख दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आपको इस प्रश्न के पूछने के बाद मालूम हुआ या पहले ही ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस दिन समाचार-पत्रों में पढ़ा उसके एक दो दिन बाद ही लिख दिया गया।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या आप केवल समाचारपत्रों पर ही आधारित रहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार से समय पर सूचनायें मिल जाया करती हैं। लेकिन सूचना अभी तक प्राप्त नहीं होने की वजह से भारत सरकार को लिखा गया है कि उनकी इस संबंध में क्या योजना है ताकि अन्वेषण कार्य शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान में पवन की गति औद्योगिक विकास में सहायक हो सकती है, इस संबंध में कोई कार्यवाही करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किया क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान में एक चक्की पहले से लगी हुई है, जो आज-कल बंद है। भारत सरकार से सूचना प्राप्त होने पर यह मालूम किया जायगा कि कितनी चक्कियां चल सकती है, उनसे औद्योगिक लाभ कितना हो सकता है; इस संबंध में अन्वेषण किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—अब तक इस संबंध में क्या प्रगति की है?

श्री भोगीलाल पंड्या—भरतपुर में एक चक्की लगाई गई थी किन्तु वह बंद है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि भरतपुर के मुकाबले जोधपुर और बीकानेर की तरफ हवा का वेग प्रबल है? इस संबंध में कोई परीक्षण किया गया है क्या?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत कुछ रुपया रखा है। उस रुपये से राजस्थान सरकार अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करेगी।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान सरकार ने इस संबंध में विशेष जोर दिया है क्या भारत सरकार को?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार के अन्वेषण विभाग से सूचना मांगी है।

श्री चांदमल मेहता—यहां हवा की गति काफी ठीक है इससे उद्योगों को काफी फायदा मिल सकता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार से सूचना प्राप्त होने पर ही यह बात मालूम हो सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इससे यह समझा जाय कि भारत सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हो तब तक क्या राजस्थान सरकार इस संबंध में सुस्त रहेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार से सूचना प्राप्त होने पर ही यह मालूम हो सकता है कि कितनी जगह चक्कियां चल सकती हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—डूंगरपुर में पवन की गति आजकल किधर चल रही है?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ९

एक हजार से अधिक ग्रान्ट इन एड पाने वाली शिक्षण संस्थाएं

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किन किन एडेड संस्थाओं को एक हजार रु० से अधिक माहवार ग्रांट इन एड दी जाती है?

[कुं श्री जसवंतसिंह]

(ख) क्या ऐसी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिये अगर सरकारी शिक्षक भरती होवें तो उनको फीस देनी पड़ती है ?

(ग) क्या ऐसे शिक्षकों को केपीटेशन फीस देनी पड़ती है ?

(घ) अगर हां, तो फी शिक्षक विद्यार्थी को कितना रुपया देना पड़ता है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जिन संस्थाओं को एक हजार रु० माहवार से अधिक सहायता मिलती है उनमें सरकारी शिक्षक भरती के लिए नहीं भेजे जाते। इसलिए फीस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन संस्थाओं में केपीटेशन फीस किसी से भी नहीं ली जाती।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि इन एडेड् संस्थाओं में जितनी तन्ख्वाह कागजों पर दिखाई जाती है उससे कम शिक्षकों को दी जाती है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई बात नहीं है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या इस बारे में कभी जांच की गई। एड के रुप में जो ग्रान्ट इन संस्थाओं को मिलती है क्या उन्हें एक हजार रुपये की जगह ५०० रु० दिये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी हमारे ध्यान में नहीं लाई गई। निश्चित नहीं होने की वजह से आगे बढ़ना जरा मुश्किल होता है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—जबकि यह सवाल उठाया गया है तो क्या इस संबंध में सरकार कोई इन्क्वायरी कमेटी बिठायगी जिसमें सदन के सदस्य भी शामिल हों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह उचित नहीं होगा कि उन सारी संस्थाओं के लिये एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाय जिनको ग्रांट इन एड दी जाती है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—इसमें सरकार को क्या हानि है कि इस संबंध में जांच करवा ली जाय ? इस प्रकार शिक्षा के महकमें में जो अनैतिकता हो रही है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इससे उन संस्थाओं की प्रतिष्ठा को आघात होगा इसलिए हमारे लिए उचित नहीं होगा कि इन्क्वायरी बिठायें। जो संस्थायें अच्छी प्रकार से कार्यवाही कर रही हैं उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचने का अन्देशा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस प्रकार यू०पी० की सरकार ने सारे शिक्षकों को उनकी तनख्वाह चेक द्वारा भेजने का आदेश दिया है उसी प्रकार यहां भी क्यों नहीं किया जाता ?

श्री अध्यक्ष—यहां यू० पी० सरकार का सवाल नहीं है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि ग्रांट इन एड की पोलिसी को तय करने के लिये इस साल जो कमेटी नियुक्त की है वह इस बात पर भी विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस कमेटी ने रूल्स बना लिये हैं और वे इस साल से लागू कर दिये जायेंगे ।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात सही है कि ग्रांट इन एड ३१ मार्च को खत्म हो जाती है और १ अप्रेल से नया साल लगने के बाद जो ग्रांट इन एड ड्यू हो जाती है, क्या वह ग्रांट इन एड इस सितम्बर के महिने तक भी नहीं मिली है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस वक्त तक ग्रांट इन एड पुराने नियमानुसार ही दी जा रही है। रिवाइज्ड रूल्स के मुताबिक जो कुछ अन्तर पड़ेगा वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दी जायगी।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाएगें कि इस कमेटी के ऑफिशियल एवं नोन ऑफिशियल मेम्बर्स कौन कौन थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे पूरे नाम तो मालूम नहीं हैं लेकिन इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य शामिल थे। यह कमेटी जो बनाई गई थी उसमें १० हजार रुपये से ज्यादा जिनको एड मिलती है उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उन्हीं की सलाह से यह कमेटी बनी थी और उसी कमेटी ने रिपोर्ट दी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दस हजार से कम जिनको एड दी जाती है उनको इस मामले में क्यों नहीं बुलाया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सबको बुलाया जाता तो मैं समझता हूँ कि इसकी संख्या हजारों पर पहुँचती; इसलिए कुछ को बुला लिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा जो टेक्स पेयर्स हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाने का प्रयत्न किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनके प्रतिनिधि अपनी राय हमेशा जाहिर किया ही करते हैं, फिर इस मामले में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसमें हम यह समझते कि टेक्स पेयर के प्रतिनिधि कौन हैं और उनको बुलाना है या नहीं। अब यह प्रतिनिधि कौन हैं, इसमें भी हम यह समझते हैं कि हम हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या इन संस्थाओं के प्रतिनिधि आप नहीं हैं ?

Page No.21

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—टेक्स पेयर के तो अधिकृत हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और क्या इन संस्थाओं के स्पेशल हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ये तो जो इनका संचालन करते हैं, वे हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें इतनी बड़ी तादाद में ग्रांट इन एड दी जाती है वहां अगर गांवों के शिक्षक शिक्षा लेने के लिए भेजे जावें तो क्या उनसे भी फीस ली जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसा है कि प्रश्न पूछा उसके अन्दर एक हजार मासिक की बात थी, इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं को एक हजार मासिक के हिसाब से १२ हजार सालाना की एड दी जाती है जिसमें शिक्षक भेजे जाते हैं, पर इसकी स्वीकृति देने वाली वे संस्थाएं स्वयं हैं जिनमें शिक्षक भेजे जाते हैं और फीस ली जाती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कैपिटल का तो जवाब दे दिया पर सवाल है ट्यूशन फीस का। ट्यूशन फीस के लिये जाने की क्या ग्रांट इन एड दी जाती है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ग्रांट इन एड देने के बाद जो फीस दी जाती है वह इनकम ग्रांट इन एड में से डिडक्ट हो जाती है।

प्रश्न संख्या १०

पिछले और इस वर्ष केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार को विकास कार्यक्रम के अधीन शिक्षा हेतु सहायता

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के तहत शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार को कितने रुपये पिछले साल और इस साल दिये गये?

(ख) इन रुपयों में से सरकार शिक्षा महकमे की निगरानी में कितना रुपया खर्च करती है?

(ग) क्या एडेड संस्थाओं को भी इन रुपयों में से धन-राशि दी जाती है?

श्रीमती कमला बेनीवाल—(क) डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के तहत शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार को पिछले वर्ष ६६,८४,०८५) रुपये व इस वर्ष १६,५७,३७३ रुपये मिले।

(ख) यह समस्त रकम शिक्षा विभाग की निगरानी में शिक्षा सम्बन्धित संस्थाओं पर खर्च की गई है और की जा रही है।

(ग) जी हां। कुछ ऐडेड संस्थाओं को भी धनराशि दी गई है।

Page No.22

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको यह रकम दी गई।

श्रीमती कमला बेनीवाल—ऐडेड संस्थाओं को स्कीम नम्बर १ व ६ के अन्तर्गत जो धनराशि दी गई है वह यह है :

राजस्थान विश्व विद्यापीठ के अन्तर्गत संचालित संस्थाएं:—

१. जनता कॉलेज मय बोर्डिंग हाउस २. केन्द्रीय कार्यालय ३. विकास केन्द्र	५०,२०३ रु०

विद्या भवन के अन्तर्गत संचालित संस्थाए:—

(१) विद्या भवन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज (२) हस्तकला (३) बेसिक प्राइमरी स्कूल	१,६८,२०३ रु०

स्कीम नम्बर ६

गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर	५०,००० रु०
ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया	३६,२४४ रु०
बालहित शिक्षा समिति, अलवर	३३,६६० रु०
बाल निकेतन, जोधपुर	२०,४०७ रु०

मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल की स्कीम

(१) चोपासनी हाई स्कूल, जोधपुर	६१,७४० रु०
(२) विद्या भवन हाई स्कूल, उदयपुर	१,८१,५०० रु०
(३) बनस्थली विद्यापीठ, निवाई	४६,२०० रु०
(४) ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया	२६,४०० रु०

हायर सेकन्डरी एज्युकेशन की स्कीम

(१) नेहरू हाई स्कूल, जोधपुर	१५,००० रु०
(२) गांधी हाईस्कूल, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	१५,००० रु०
(३) नव भारत हाई स्कूल, उदयपुर	१५,००० रु०

कुं० श्री जसवन्तसिंह—किन खासियतों एवं स्पेशल शिक्षा के लिए इतनी इतनी बडी रकमें इन संस्थाओं को दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि जो स्कीमें बताई गई हैं उनसे यह प्रश्न स्पष्ट हो जाता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—स्कीमों से तो समझ में कम आता है। इतनी इतनी रकमों का इतनी चन्द संस्थाओं को दिया जाना क्या मनों में शक व शुबह पैदा नहीं कर सकते कि आखिर इनको ही क्यों इतनी इतनी रकमें दी जा रही हैं? राजस्थान में औरों को क्यों नहीं दी, यह पॉइन्ट साफ नहीं हुआ है। इतनी तादाद में रुपया एक ही जगह क्यों दिया गया है, राजस्थान भर में क्यों नहीं दिया गया?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह सारी रकमें एक ही जगह दे दी गई, ऐसी बात यह सारी लिस्ट सुनने के बाद पैदा नहीं हो सकती। फिर अगर एक एक आइटम को डिटेलवाइज़ एक्सप्लेन मैं करूं कि किसको क्यों इतनी रकम दी गई और क्यों यह सब किया गया, तो इसमें कम से कम घंटा भर तो लग ही जावेगा। तो माननीय अध्यक्ष, अगर इसके लिए आपकी आज्ञा हो तो मैं तैयार हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब में कौनसी चीज कॉमन है, यह तो कम से कम आप बता दें!

श्रीमती कमला बेनीवाल—स्कीम नम्बर १ व ६ आदि में जो सूचनाएं दी गई हैं उनको अगर आप स्टडी कर लें तो पता लग जावेगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि एक प्लानिंग अफसर की नियुक्ति की गई है इन डेवलपमेन्ट स्कीमों के लिए?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ प्लानिंग की नियुक्ति हुई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इनको तनख्वाह इन रुपयों में से दिलाई जावेगी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसका इससे तो कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या ये डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा अध्यक्ष के मातहत नहीं रक्खे गये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इनका सीधा सेक्रेटेरियट से सम्बन्ध रक्खा गया है, क्योंकि मल्टी पर्पज़ स्कीम को काफी डेवलप किया जा रहा है और इसका सम्बन्ध इसके साथ है।

श्री भैरोंसिंह—और इसके लिए यह अलग डिपार्टमेन्ट खोलने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कार्य की अधिकता को देखते हुए इस मल्टी पर्पज़ स्कीम की दृष्टि से ऐसा करना जरूरी था।

कु० श्री जसवन्तसिंह—गवर्नमेन्ट जो निर्णय इस बारे में करती है उसमें डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की भी राय ली जाती है क्या?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जो रुपया दिया गया है इनमें कइयों में तो डाइरेक्टर के जरिये तय किया गया और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं कि जिनमें गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू तय किया गया। मैं इस बारे में और यह निवेदन कर दूं माननीय अध्यक्ष, कि माननीय सदस्य के यह ध्यान में रहे कि हमने इनको जितना रुपया दिया उससे कई गुना ज्यादा भारत सरकार ने दिया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह तो दिया जा सकता है, यह हम जान सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आप जान सकते हैं तब तो ठीक ही है। मैं और कहदूं कि आप जानते हैं कि उससे पहले से दिया गया है।

श्री मानसिंह महार—क्या इस पोस्ट पर किसी रिटायर्ड व्यक्ति को रक्खा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह जो नियुक्ति की गई है किस विशेषता के कारण की गई है। डिप्टी डाइरेक्टर क्या इसके विशेषज्ञ हैं इस वजह से ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

श्री मोतीलाल—क्या पर्चेज़ वगैरह का भी काम इनको दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—दिया जावेगा की बात कह रहे हैं। ऐसी कोई बात इस समय तो मेरी निगाह में नहीं है। पता नहीं, आप कहां से यह सूचना पा गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११

बड़ी सादड़ी तथा कनेरा तहसीलों में तहसीलदार के अधीन कर्मचारी

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्वमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की सब तहसीलों में तहसीलदार के नीचे काम करने वाला स्टाफ बराबर रहता है ?

(ख) क्या काम को देखते हुए चित्तौड़ जिले की बड़ी सादडी तथा कनेरा तहसीलों में समानता है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या कार्य को देखते हुए जहां पर कार्य ज्यादा हो वहां विशेष स्टाफ बढ़ाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, काम की दृष्टि से बड़ी सादड़ी और कनेरा तहसील में समानता नहीं है।

(ग) जहां काम ज्यादा है वहां स्टाफ भी ज्यादा है और जो स्टाफ है वह काम सम्भालने के लिए काफी है। इसलिये इसके बढ़ाने का कोई विचार सरकार नहीं कर रही है।

Page No.25

प्रश्न संख्या १२

सेडवा में गांव व तालाब के बीच वाली भूमि को गोचर भूमि घोषित करना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कलेक्टर, जालोर, ने सेडवा में गांव व तालाब के बीच वाली जमीन को पब्लिक की दरख्वास्त पर गोचर भूमि घोषित कर दिया है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस गोचर भूमि को रेवेन्यू बोर्ड द्वारा भी गोचर माना गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि गोचर को काश्त न करने बाबत उच्च अधिकारियों को पब्लिक की तरफ से दरख्वास्तें दी गई हैं लेकिन जमीन काश्त करने से नहीं रोकी गई है ?

(घ) क्या सरकार गोचर भूमि काश्त रुकवाने के लिये सख्त कदम उठाने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री दामोदर लाल व्यास— (क) क्लेक्टर, जालोर ने सेडवा गांव में गांव के तालाब की कोई जमीन गोचर घोषित नहीं की है । खसरा नम्बरान १८८ व ३३५ जो नाडी के पास हैं कागजात बन्दोबस्त में गोचर दर्ज है । इन हर दो गोचर के नम्बरान पर बच्चू वगैरह ने नाजायज कब्जा कर लिया था । उस कब्जे को हटाने के लिए मारवाड़ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत क्लेक्टर ने आदेश दिया है ।

(ख) रेवेन्यू बोर्ड में क्लेक्टर, जालोर का हुक्म मवर्खी ६।८।५४ बहाल रहा ।

(ग) सवाल बहुत मोमिल है । क्लेक्टर के हुक्म के खिलाफ मुकदमा सिविल कोर्ट में ले जाने की दरख्वास्त पर कार्यवाही रोकना जरूरी हुआ ।

(घ) गोचर को रोकने के लिए कानून के माफिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न संख्या १३

चित्तोड़ जिले में जहां २ लड़कों की हाईस्कूलें हैं वहां २ लड़कियों की मिडिल स्कूलें खोलना

श्री जगतसिंह भाला—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चित्तोड़ जिले में जहां २ पर लड़कों के लिये हाई स्कूल हैं वहां २ पर लड़कियों के लिये मिडिल स्कूल हैं ?

(ख) अगर नहीं हैं, तो क्या सरकार लड़कियों के लिये भी मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

Page No.26

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(उपशिक्षा मंत्राणी) (क) चित्तौड़ जिले में चित्तौड़, कपासन, निम्बाहेड़ा, व प्रतापगढ़ में लड़कों के हाई स्कूल व लड़कियों के मिडिल स्कूल दोनों हैं। केवल दो स्थानों पर बैगू व रामपुरा में जहां लड़कों के हाई स्कूल तो हैं परन्तु लड़कियों के मिडिल स्कूल नहीं हैं। छोटी सादड़ी में लड़कियों का मिडिल स्कूल है परन्तु लड़कों का हाई स्कूल नहीं है।

(ख) लड़कियों के लिये मिडिल स्कूल खोला जाना लड़कों के हाई स्कूलों से संबंधित नहीं है।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सुनाई बिल्कुल नहीं देता है। यदि उपमंत्राणी जी जोर से बोलें तो ठीक रहे। हमें सुनाई बिल्कुल नहीं देता है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष— It is better that the Hon'ble Member does not hear.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य से कहा जाय कि वे अपने कान का इलाज करायें।

प्रश्न संख्या १४

पुनः स्थापन विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कूलों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लेना

श्री जगतसिंह भाला—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट द्वारा चल रहे जितने भी स्कूल राजस्थान में थे वे सभी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लिये गये हैं ?

(ख) इनकी कुल संख्या कितनी है व ये कब से शिक्षा विभाग में लिये गये ?

(ग) क्या इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का फिक्सेशन एक लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) कब तक सरकार इनका फिक्सेशन घोषित करेगी ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उपशिक्षा मंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) इनकी कुल संख्या १३५ है और वह १–७–५२ से शिक्षा विभाग में लिये गये।

(ग) जी हां।

(घ) इनके फिक्सेशन के विषय में शिक्षा विभाग व फाइनेन्स विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है व शीघ्र ही यह प्रश्न हल कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कब से विचार चल रहा है ?

श्रीमती बेनीवाल—यह कुछ समय से चल रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सन् १९५३ में यह कागज एजुकेशन सेक्रेटरी के पास सेक्रेटेरियेट में पहुँच गये थे ?

श्रीमती बेनीवाल—हो सकता है कि यह हो, पर यह अलग से पूछें तो अलग से बताया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं क्योंकि यह मामला जेर तज़वीज़ था। यह पता लगाया जाना चाहिए कि कब से विचार चल रहा है।

श्रीमती बेनीवाल—थोड़े दिनों से ही विचार चल रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या मंत्राणीजी बता सकती हैं कि उनकी एफिशियेन्सी क्या है ? आप बता सकती हैं तो बताइये कि कागजात ५३ से (पेंडिंग) हैं या नहीं ?

श्रीमती बेनीवाल—इसको बाद में बता दिया जायगा निश्चित रूप से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट को तीन बार कन्सल्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है ?

श्रीमती बेनीवाल—इसके निर्णय में दिक्कत यह है कि टीचर्स वगैरह के रेकॉर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसलिए इसमें कठिनाई आ रही है। ज्योंही वे प्राप्त हो जायेंगे मामला तय कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के एकाउन्ट्स ऑडिट ऑफिस से मन्जूर नहीं होने से रकम की कमी हो गई, इस वजह से उन बेचारों का फिक्सेशन रोका जा रहा है।

श्रीमती बेनीवाल—ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट के एकाउन्ट्स ऑडिट ऑफिस में मन्जूर नहीं हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—इस सारी स्थिति की जानकारी कर लेने का बारबार उत्तर दिया जा रहा है, फिर भी उस संबंध में प्रश्न आप पूछ रहे हैं ? पूरी जानकारी करने के बाद जवाब दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम से कम, गलती, की गई है और वह नहीं बताई जाती है; गलती जिसकी है उसको कुबूल करना चाहिए।

प्रश्न संख्या १५

जयपुर डिवीज़न के विभिन्न कारखानों के लिए भूमि एवं उन्हें आर्थिक सहायता

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर डिवीज़न में कितने कारखाने किस किस जगह पर हैं ?

(ख) उनकी भूमि खरीदी हुई है या किराये पर है ?

(ग) क्या इन कारखानों की भूमि की कीमत व किराया किसी पर बकाया है ?

(घ) सरकार ने किन किन कारखानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है या सहायता के आश्वासन दिये हैं ? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ?

श्री भोगीलाल पंडया (उद्योग मंत्री)—जयपुर डिवीज़न में जो कारखाने हैं उनकी प्राप्त सूचना के अनुसार एक सूची बनाई गई है, जिसकी सूची मेज पर रख दी गई है। कई कारखानों की अपनी स्वयं की भूमि है और जिनकी नहीं है उन कारखानों को भूमि देने का कार्य अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड तथा राजस्व विभाग द्वारा होता है। इसी प्रकार की उसकी कीमत या किराये का सम्बन्ध उन्हीं से है। सरकार ने जिन जिन कारखानों को कर्ज के रूप में आर्थिक सहायता दी है उसकी सूची भी मेज पर रख दी गई है। ऋण जिन जिन शर्तों पर दिया जाता है उसके फार्म की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १६

रसद विभाग में व्यापारियों की रिफन्ड योग्य डिपोजिट रकमें

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सप्लाई विभाग में व्यापारियों का हजारों रुपयों का डिपोज़िट व अन्य हिसाब की रकम जो रिफन्ड होने को है, रुके पड़े हैं ?

(ख) सरकार उस रकम को जल्दी से वापिस करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंडया (रसद मंत्री)—(क) रसद विभाग में जितने व्यापारियों की रकमें

[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

पड़ी हुई हैं और उनको वापिस देने की हैं उसके लिये संबंधित अधिकारियों को पहले ही आदेश भेजा जा चुका है कि उनकी आवश्यक पूर्तियां पूरी करके वापिस कर दी जांय।

(ख) जो व्यापारी अपनी जमा शुदा रकम की वापसी के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं उनके हिसाब–किताब की जांच करके उनका अविलम्ब चुकारा कर दिया जाता है।

प्रश्न संख्या १७

तहसील शिवगंज में कुओं के लिये तकावी तथा नाजायज उपयोग पर उसकी वसूली

श्री अर्जुनसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गत तीन वर्षों में तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में कुओं के वास्ते किस २ को तकावी दी गई है और कितने कुओं का काम पूरा हो चुका है?

(ख) क्या इस तकावी का नाजायज इस्तेमाल भी हुआ है? अगर हां, तो क्यों!

(ग) जिस काश्तकार ने कुओं में तकावी का पैसा नहीं लगाया उससे क्या सरकार जल्दी वसूली करना चाहती है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) गये तीन वर्षों में तहसील शिवगंज में कुल १९ व्यक्तियों को कुए खोदने के लिए तकावी दी गई है। इनमें से १० कुओं का काम पूर्ण हो चुका है। इसकी सूची इस प्रकार है—

मैनवाला

......हीरा वल्द देवा

सूची मेज पर रख दी जायगी।

(ख) ५ व्यक्तियों ने तकावी का जायज इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कुए न खोदकर रकम घरू काम में लगाई है।

(ग) जिन पांच काश्तकारों ने तकावी का नाजायज इस्तेमाल किया उनसे रकम वसूल की जा रही है। उन पांच काश्तकारों ने २,२०० रु० लिये जिनमें से ४५०) रु० वसूल कर लिये गये हैं और बाकी की वसूली के लिए कार्यवाही जारी है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

Page No.30

प्रश्न संख्या १८

श्री मोहब्बतसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का जवाब जो श्री जवानसिंहजी ने चौथा प्रश्न किया था, उसमें आगया है वही रिपीट हुआ है।

प्रश्न संख्या १९

राजस्थान में बालिका इन्टरमीजिएट व डिग्री कॉलेज व वहां के परीक्षा-फल

श्री मंगलसिंह कछवाहा—Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) How many Girls Intermediate and Degree colleges are there in Rajasthan ?

(b) What is the strength (total number of girls) in each college and what have been the results of each Intermediate and Degree Examinations during the last four years ?

श्रीमती कमल कुमारी बेनीवाल (उपशिक्षा मन्त्राणी)— (a) There are three girls Intermediate Colleges and one Degree College for Girls in Rajasthan.

(b) A Copy of the statement has been placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जसवन्तसिंह—Is it true that as stated in the question some of the girl students sit even in almirah shelves ?

(हंसी)

I am sorry. I was attracted by shri Mangal Singh' s name.

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इन्टर कॉलेजों को डिग्री कॉलेज कब तक बना दिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—यह प्रश्न विचाराधीन है। पंचवर्षीय योजना में तय किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इसका मतलब मैं यह समझा कि उपमन्त्राणीजी उसके विषय में ध्यान रखेंगी।

प्रश्न संख्या २०

राजमहल बालिका इन्टरमीजिएट कॉलेज, जोधपुर में लड़कियों के बैठने के लिए स्थानाभाव

श्री मंगलसिंह कछवाहा—Will the Minister for Education be pleased to state

(a) Is it a fact that due to the shortage of accommodation in Raj Mahal Girls' Intermediate College, Jodhpur, girl students feel great inconvenience in taking down notes and about one—fourth of them have to remain either standing in the class room or have to sit on the windows or almirah shelves ?

(b) Is it also a fact that for the last two years guardians of the girls and other prominent persons of Jodhpur have been approaching the authorities apprising them of the shortage of accommodation, but no steps have been taken so far in this direction ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेर्नीवाल (उप शिक्षा मन्त्राणी)—(क) कमरे छोटे होने के कारण वहां पर स्थान की तंगी है, परन्तु यह सही नहीं है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को या तो कक्षाओं में खड़ी रहना पड़ता है अथवा खिड़कियों में व आलमारियों पर बैठना पड़ता है।

(ख) जी नहीं। इस वर्ष कॉलेज की ६ से ८ तक की कक्षाओं को इस भवन के सन्निकट दूसरी इमारत में स्थानान्तर कर दिया गया है।

(ग) स्त्री शिक्षा पर सरकार अधिकाधिक ध्यान दे रही है। शिक्षण संस्थाओं के बारे में जनता को भी भवन निर्माण की ओर सहयोग करना चाहिए। इसके लिए मैं आप एम. एल. ए. साहबान से दरख्वास्त करूंगी।

श्री मंगलसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, मैं इस बात को चेलैंज करता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़कियाँ खिड़कियों और आलमारियों पर बैठती हैं।

श्री अध्यक्ष—यदि आपकी जानकारी है तो सवाल ही नहीं आता है।

(हंसी)

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—सवाल इसलिए पूछा जा सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है।

श्री तनसिंह—उन्होंने खिड़कियों पर खड़े रहने के लिए इन्कार किया है, आलमारियों के लिए नहीं।

श्री मंगलसिंह—क्या उपमन्त्राणीजी मेरे सवाल का जवाब देंगीं ?

श्रीमती बेनीवाल—मैंने स्वयं उस संस्था को बिना किसी नोटिस के देखा था। वहां मैंने सब लड़कियों को बाकायदा अपनी सीटों पर बैठे हुए पाया है। जो दिक्कत थी ६ से ८ वीं कक्षा तक थी। उनको वहां से हटा देने से यह दिक्कत दूर हो गई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—नेक्स्ट स्टेप उस कॉलेज को हटाने का है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या २१

शुगर मिल तथा डिस्टीलरी के प्रयोग हेतु बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन के क्रय किये गये मोलासेज

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(a) Has the Government purchased some mollasses from the Managing Agents of the B- I- C- for use in the Sugar Mill and Distillery ?

(b) If so, at what rate has this been purchased ?

(c) Was any effort made to find out the market rate before making these purchases ? If not, why not ?

(d) Will the Government state what was the prevailing market rate for the same at that time ?

(e) What action has been taken in this matter ?

श्री भोगीलाल पंडया (उद्योग मन्त्री)—(क) हां।

(ख) २ रु० २ आ० ३ पा० प्रति मन।

(ग) हां।

(घ) बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लि०, श्री गंगानगर और राजस्थान की दूसरी फैक्ट्रियों का खुदरा भाव २ रु० प्रति मन निश्चय किया गया था।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न तो उठता है। इस बात का पता लगाने का सरकार ने प्रयत्न किया था तो एक्शन लेने का प्रश्न उठता है। मार्केट से पता लगाने का यदि सरकार ने प्रयत्न किया होता तो यह नौबत नहीं आती। एक्शन लेने का प्रश्न उठा उससे पहले मंत्रीजी ने मार्केट रेट का पता लगाने का क्या प्रयत्न किया, इसका उत्तर आप पहले दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—इस बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पूरी पूछताछ करने के बाद यू० पी० सरकार से पूछा गया तो वहां की रेट्स कम आई । राजस्थान में कन्ट्रोल नियम नहीं था इसलिये हमें अपने भाव से लेना पड़ा और देना पड़ा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यू० पी० से जो कम रेट्स आई वे कितनी थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे ३ आ० ६ पाई की थीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ऑक्शन की रेट का पता लगाने की सरकार कोशिश करती तो वह रेट कहीं कम थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं नहीं समझ सका ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑक्शन की रेट कहीं कम थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या— २ रु० २ आ० ३ पा० थी, उस पर तो पूछा गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस सिलसिले में ऑडिट विभाग ने ऐतराज किया है ? यदि किया है, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एग्रीमेन्ट की धारा ३ (ई) के अनुसार कार्यवाही की गई है । उसमें लिखा था कि ३ रु० मन पर बेचने का प्रयत्न किया जायगा ३००० मन तक, यदि इससे ज्यादा हुआ तो २ रु० ३ आ० के हिसाब से या कम-ज्यादा जो भी कुछ हिसाब से होगा उससे दिया जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आप किस शर्त का जिक्र कर रहे हैं ? लीज़ एग्रीमेन्ट में क्या कोई ऐसी शर्त थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एग्रीमेन्ट की धारा ३ (ई) का जिक्र है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लीज़ एग्रीमेन्ट के बारे में आप कह रहे हैं क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लीज़ एग्रीमेन्ट में मोलेसेज़ का कोई जिक्र है क्या ?

श्री भोगीलाल पंडया—क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष—उसमें मोलेसेज़ का जिक्र है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाऊँ कि लीज़ एग्रीमेन्ट में मोलेसेज़ का कोई जिक्र नहीं है ? Is the Hon' ble Member in a position to contradit this

Page No.34

श्री भोगीलाल पंडया—मैं आपको वह धारा पढ कर सुना दूं। उसमें लिखा है।

"3 (e) That the Lessee shall pay to the Lessor, for the molasses already taken over by the Lessee from the Lessor, price at Rs. 3/- per maund for the first 3000 maunds of molasses and Rs. 2-2-3 per maund for the balance, provided the offer received by the Lessee's General Manager of the Sugar Mills at these rates materialises, that is to say, the said offer is pursued and the party making the offer pays for molasses at the said rates. If the said offer does not so materialise, the Lessee shall pay for the molasses at the rate at which it is actually sold by the Lessee."

प्रश्न संख्या ५२

सांचोर तहसील में स्कूलों में अध्यापकों का सुचारु प्रबन्ध

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सांचोर तहसील में कुल कितनी स्कूलें कहाँ कहाँ है ?

(ख) क्या यह सही है कि बहुत से स्कूलें अभी तक इसलिये खुल नहीं पाई हैं कि मास्टर लोग रेगिस्तान के इलाके में नहीं जाना चाहते हैं ? अगर हाँ, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार रेगिस्तानी इलाकों में मास्टरों को अलाउन्स भी देकर स्कूल खुलवाने की तज़वीज़ कर रही है ? अगर हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी) —(क) सांचोर तहसील में इस समय १मिडिल स्कूल व ३३ प्राइमरी स्कूलें हैं। स्थानों की तालिका सदस्य महोदय की जानकारी के लिये मेज पर रख दी गई है।

(ख) यहां पर अभी निम्नलिखित १४ स्कूलें बन्द है। यहां पर स्कूलें चलाने के लिये न तो स्कूलों के लिये भवन पर्याप्त है और न ही अध्यापकों के रहने के लिये सुविधा दी जाती है।

१. राजकीय प्राथमिक पाठशाला पांचला.

२. „ „ „ अहनाई,

३. „ „ „ अचलपुरा,

४. „ „ „ बिछावड़ी,

५. „ „ „ गोलासन,

Page No.35

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

६. ,, ,, ,, गलीफा,

७. ,, ,, ,, केरिया,

८. ,, ,, ,, हरियाला,

९. ,, ,, ,, खिरोही,

१०. ,, ,, ,, पुर,

११. ,, ,, ,, शोयाला,

१२. ,, ,, ,, पाड़ीका निवास,

१३. ,, ,, ,, साऊ,

१४. ,, ,, ,, शेडवा,

(ग) रेगस्तानी इलाकों के स्कूलों के मास्टरों को अलाउन्स देने की कोई तजबीज नहीं है ।
(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न संख्या २३

सन् १९५४-५५ में शिक्षा विभाग द्वारा खरीदी गई जीपों के अधिक मूल्य

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) Did the Education Department purchase any jeeps in 1954-55?

(b) If so, from whom and at what rate?

(c) What is the rate at which the same jeeps are supplied to the the D.G.S.D?

(d) At what rate have the same type of jeeps been purchased by other Departments of the Government near about the same time?

(e) Is there any difference between the rates paid by the Education Department and the other Departments and the D.G.S.D rates?

(f) What action have the Government taken in the matter?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री) —(a) Yes.

(b) From M/s. United Motors of Rajasthan, Jaipur, at the rate of

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

Rs. 13,200|- each including all other chatges.

(c) The Jeeps are supplied to the D.G.S.D. at the rate of Rs. 10,905/- per Jeep excluding forwarding charges.

The Transport Department purchased Jeeps at the rate of Rs. 12.085/- per Jeep including all other charges. The G.A.D. also purchased at the same rates.

(e) (f) An enquiry in this matter is being made,

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has a regular enquiry been ordered ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— I do not follow exactly why he is asking for a regular enquiry ? We are just trying to find out whether a prima facie case is established. Then only we shall proceed for a regular enquiry.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मैं यह समझूं कि अभी प्रिलिमिनरी इन्कायरी की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हाँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रिलिमिनेरी इन्कायरी कब शुरू हुई, किसके द्वारा हुई और कब तक कम्प्लीट हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इन्कायरी गवर्नमेन्ट की तरफ से की जा रही है । मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी कम्पलीट की जायगी । तफसील में अभी ज्यादा जाना ठीक नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पर्चेजेज़ जो की गई हैं उनकी डिलीवरी का रेकर्ड जो है उसमें भी गलतियें की गई हैं और ठीक नहीं होते हुए भी पेमेन्ट कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—इन्कायरी हो रही है, ऐसा बतलाया गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फेक्ट्स प्रूवं हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—अभी शायद इन्कायरी पूरी नहीं हुई है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो जवाब देने से पता लगेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं निवेदन कर चुका हूं कि इन्क्वायरी की जा रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जब सप्लाई हुई तब किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट ने इन्कायरी करके सर्टिफाइ नहीं किया कि ये ठीक हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह एक अलग प्रश्न है कि टेक्निकल एग्ज़ामिनेशन हुआ या नहीं । इस प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब दिया जायगा ।

Page No.37

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह प्रश्न भी इन्क्वायरी में लिया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैं समझता हूं, सारे ही पोइन्ट्स की इन्क्वायरी की जा रही है। निश्चित चीज तो रिज़ल्ट के बाद ही सामने आयगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसकी इत्तला सरकार के पास कब पहुंच चुकी थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह डिटेल्स की बात है, किन्तु यह कह सकता हूं कि आपकी तरफ से इत्तला आई उससे पहले ही सरकार ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इस बात को कितना अरसा हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कितना अरसा हुआ, यह मुझे पता नहीं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या ये जितनी जीपे खरीदी जाती हैं उनकी प्राइस पब्लिक सेल्स प्राइस से ज्यादा होती हैं या कम होती हैं और चीपर या सस्ती पड़ती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जो डी.पी. एस. डी. की प्राइस है उसको स्टेन्डर्ड मानकर चलते हैं। गवर्नमेन्ट ने जो जीपें परचेज़ की हैं उनमें करीब १००० या १२०० रू० का डिफरेन्स होता है लेकिन इनको खरीदने के क्या सर्कम्सटान्सेज़ थे, क्यों खरीदी गई इन बातों की जब तक इन्क्वायरी नहीं हो जाती तब तक सारी बातों का वाद-विवाद चलाना ठीक नहीं होगा।

श्री बी. एन. जोशी—Will the Hon' ble Chief Minister state by whom this enquiry has been ordered and on what date.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—By the Government. The Government is carrying on the enquiry as I have already stated.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न काल समाप्त हुआ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्न कभी १५—२० मिनिट में ही खत्म हो जाते है, लेकिन आज काफी सवाल बाकी रह गये हैं। उनमें से कुछ सवाल काफी महत्व के है अगर उनका जवाब सदन में नहीं लिया जायगा तो सप्लीमेन्टरी प्रश्न करने का मौका नहीं मिलेगा और सप्लीमेन्टरी प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे तो सदन को लाभ नहीं होगा, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि या तो आज कुछ समय और दें या जिस दिन काम कम हो उस दिन इन बचे हुए प्रश्नों का जवाब ओन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस में दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—आपने क्या फरमाया ?

कु० श्री जसवंतसिंह—दूसरे दिन जब काम कम हो उस दिन इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह कैसे पता चलेगा कि किस रोज काम कम है ! इसमें यह देखना होगा कि किस दिन काम होगा, यह तो पता नहीं रहता । इसलिये प्रश्नों के उतर देने के लिये फायल हर रोज साथ रखनी होगी और यह भी जानकरी रखनी होगी कि कौन से प्रश्न आपके महत्व-पूर्ण है ?

कुं० श्री जसवंतसिंह—विधान सभा सेकेटेरियट को मालूम हो सकता है कि जिस रोज क्वेश्चन्स कम हैं उस रोज लिये जा सकते है ।

श्री अध्यक्ष—It all depends upon how the Members take Interest in the Question how they table the quesions. Some times we have heaps of questions and sometimes only one or two.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह निवेदन किया गया है कि जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर गौर किया जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक-आध ऐसा बहुत दिलचस्पी का सवाल हो तो आप पूछलें ।

श्री चांदमल मेहता—एक प्रश्न तो बहुत ही महत्व का है महाराजा श्री किशनगढ़ मिल्स के बारे में ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—एक मेरा भी प्रश्न बडे महत्व का है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—महाराजा श्री किशनगढ़ मिल्स के प्रश्न को ले लिया जाय, इसमें मेरी भी राय है।

श्री हिम्मतसिंह—Question No 43 is also Interesting.

श्री अध्यक्ष—All are interesting

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मुख्य मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि मैं कोन से सवाल में इन्ट्रेस्टेड हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रश्न में इन्टेरेस्टेड नहीं हूँ; लेकिन यह जनरल प्रश्न है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने यह फरमाया था कि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये है इसलिये, मैंने समझा कि आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया होगा ।

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Members want we can continue for half an hour more.

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भले ही प्रश्नों का समय बढ़ा दीजिये लेकिन आयन्दा के लिये यह प्रिसिडेन्ट नहीं बन जाय।

श्री अध्यक्ष—The rules are there.

प्रश्न संख्या २४

आइ. ए. एस. तथा आइ. पी. एस. के चुने हुए व्यक्तियों की सीनियोरिटी सूची

श्री मोहब्बत सिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) आई. ए. एस. व आई. पी. एस. के सिलेक्टेड व्यक्ति जो राजस्थान में हैं, उनकी सीनियोरिटी लिस्ट किस प्रकार है ?

(ख) यह लिस्ट क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई है ?

(ग) क्या इन सेवाओं की सीनियोरिटी राजस्थान में पोस्टिंग के समय [illegible] में नहीं लाई जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) आइ ए. एस. व आइ. पी. एस. ऑफिसरों की सिनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज पर रखी हुई है।

(ख) हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया— (क) आइ. ए. एस. व आइ. पी. एस. आफिसरों की सिनियो रिटी लिस्ट लदन की मेज पर रखी हई है।

(ख) हां।

(क) पोस्टिंग करने में सिनियोरिटी के साथ अन्य बातों का भी विचार रखा जाता है

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री मोहब्बत सिंह—अन्य किन किन बातों का ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—स्पेशल मेरिट्स का।

श्री मानसिंह म्हार—क्या इसमें फेवरेटिज्म सबसे बड़ी वस्तु है ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—जी नहीं। कभी किसी ऑफिसर के खिलाफ एड्वर्स रिमार्क्स होते हैं तो उस पर विचार किया जाता है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—Just on a Point of order. I want to clear myself. आज कई सवालों के जवाब में मंत्री महोदयों द्वारा फरमाया गया है कि प्रश्न का उत्तर सदन की मेज पर रख दिया गया है। जहां तक मुझे स्मरण है ऐसे जवाबों की कॉपी प्रश्नकर्ता को भेजी जाय, इस आशय के आदेश, माननीय अध्यक्ष, आप द्वारा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—I presume that a copy was given to the Member.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—We have also a right as Members of the House.

श्री मोहब्बत सिंह—I have no grievance.

श्री अध्यक्ष—Why a differential treatment with the Leader of Opposition ?

श्री मंगल सिंह कछावाहा—मुझे भी कॉपी नहीं मिली साहब।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—We have also a right as members of the House.

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं इससे सहमत हूँ, आपके पास कॉपी नहीं गई है तो आयन्दा जरूर भेजी जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस तरह इस सदन में डिफ्रेंशियल ट्रीटमेंट हुवा है उसी तरह पोस्टिंग्स में भी होता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं इसको वजन के साथ कहना चाहता हूँ कि यह गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ साहब।

श्री अध्यक्ष—Order Please !

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, वह तो पहले सीरियस नहीं था।

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member asks supplementaries which are not very serious then half an haur more will not be sufficient.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो गलत बोल गये, उसका मुझे अफसोस था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५

करोली सब डिवीज़न के खालसे के कृषकों पर राजस्थान के अन्य इलाकों से अधिक लगान

श्री धरम चन्द—क्या माननीय राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि करौली सब डिवीज़न के खालसे के किसानों पर राजस्थान के अन्य इलाकों से बहुत अधिक लगान है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस इलाके का लगान भी समीप के दूसरे इलाकों के बराबर करेगी ?

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) करोली सब डिवीजन में लगान ४ आने से लेकर १ रुपया प्रति बीघा है।

(ख) लगान रियासत के जमाने में सन् १९१२ में कायम हुवा है और अब इसके दुरुस्ती की कार्यवाही हो रही है।

(ग) सेटिंलमेंट कमिश्नर से इसकी बाबत जल्द रिपोर्ट मंगवाई गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लगान कहां कहां कितना कितना ज्यादा है, यह सेटलमेंट कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार इन्टेरिम रिलीफ पहुँचाने के लिये आॅर्डर क्यों नहीं निकालती ?

श्री दामोदर लाल व्यास—सरकार के पास सेटलमेंट की रिपोर्ट इस बारे में अगर आ जायगी कि वास्तव में लगान ज्यादा है तो फिर उस पर सरकार दे सकेगी, पहले ही क्या किया जा सकता है जब तक कि रिपोर्ट ही नहीं आये ।

श्री श्रीदास गोयल—प्राइमाफेसी ज्यादा है तो आॅर्डिनेन्स के तहत एक दम रिलीफ पहुँचाने को तैयार हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—यह तो तभी मालूम होगा जब कि रिपोर्ट आ जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—राजस्थान में करोली के आने के बाद वहां पर सेटलमेंट ओपरेशन्स हुए या नहीं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—नहीं हुए ।

श्री श्रीदास गोयल—कब शुरु कराये जायेंगे ?

श्री दामोदर लाल व्यास—प्राइमरी कार्यवाही की जा रही है।

एक सदस्य—सेटलमेंट करने से पहले उनको इन्टेरिम रिलीफ पहुँचाने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि सेटलमेंट कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा कि लगान वास्तव में ज्यादा है तो जरूर इन्टेरिम रिलीफ देने के लिये कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—जब कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से सब जगह सेटलमेंट हो चुका है तो फिर अभी तक करौली में सेटलमेंट नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—सर्वे नहीं हुई थी। सर्वे कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या नं० २६

ग्राम हसमपुर (तहसील नीम का थाना) की पाठशाला को हाई स्कूल बनाने सम्बन्धी शासकीय आश्वासन

श्री हरिकृष्ण व्यास: Will the Minister for Education be pleased to answer:—

(a] Is it a fact that the people of the village Hasampur, Tehsil Neem-ka Thana were assured by the Department about raising their school to the level of a High School if the villagers gave or constructed a good building !

(b) Is it fact that the inhabitants of the village have fulfilled all the Conditions laid down by the Department, but despite it their school has not been raised to the level of a High School ?

(C) Is it a fact that instead of the above village school, the school in village Chaja-ka-Nangal has been raised to the level of a High School ?

(d) Is it a fact that the name of Chaja-ka-Nangal was not even on the list for consideration while this question was being examined ?

(e) Is it a fact that no recommendation for Chaja-ka-Nangal has ever been sent bv the Inspector of Schools of the Division ?

(f) Will the Government state the reasons why this special treatment was accorded to the school in Chaja—ka—Nangal ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

(ए) जनता को कहीं भी हाई स्कूल खोलने के लिए अश्वासन नहीं दिया गया था।

(बी) यहाँ की जनता ने हाई स्कूल खोलने की विभाग द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण शर्तों को पूरा नहीं किया। उन्होंने १०,००० रू० अभी तक जमा नहीं कराये और खेती-बाड़ी के लिए भूमि भी नही प्रदान की।

(सी) जी नहीं। मिडिल स्कूल छाजा का नॉगल को मिडिल स्कूल हासमपुर की बजाय हाई स्कूल नहीं बनाया गया।

(डी) ऐसा नहीं था। जब हाई स्कूल खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उस समय हासमपुर का नाम विचाराधीन नहीं था।

(ई) इस वर्ष हाई स्कूल खोलने की नीति निर्धारित करने के पश्चात निरीक्षकों से कोई ऐसी सिफारशें नहीं मंगाई गई थीं। जिन जिन ग्रामों की जनता ने हाई स्कूल खोलने की निर्धारित शर्तें पूरी कर दी थीं उन्हीं स्थानों पर की सूची विभाग में तैयार की गई थी। सीकर जिले में केवल दो ही स्थान ऐसे थे (कॉवट व छाजा का नॉगल)।

(एफ) ऐसी कोई बात नहीं थी। अधिक उपयुक्त स्थानों पर हाई स्कूल खोले गए।

श्री रूपनारायण शास्त्री—क्या मजिस्ट्रेट के दस्तखत करा कर चैक भेजा है वह शर्त पूरी करने में नहीं आता ? फिर कैसे कहा जाता है कि रूपया नहीं दिया। मेरे पास प्रमाण हैं, मैं सप्रमाण बता सकता हूँ, साबित कर सकता हूं कि हासमपुर का नाम हाई स्कूल बनाई जाने वाली स्कूलों की लिस्ट में था।

श्री कपिलदेव—अभी यहां भाषण थोडे ही देना है।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल-मैंने आपको बताया नहीं कि अभी तक १०,००० रू० जमा नहीं कराया गया है। जब तक निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की जाती तब तक लिस्ट में नाम लिये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री रूपनारायण शास्त्री--जब मजिस्ट्रेट के पास चैक भेज दिया तो फिर ऐसा कैसे कहा जाता है कि रूपया अभी जमा नहीं कराया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उनको एक पत्र दिया गया जिसमें केवल तीन स्थानों के नाम थे; छाजा की नांगल का नाम नहीं था, और दूसरी तीन हाई स्कूलें बनाने का सवाल था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--सरकार द्वारा कोई आश्वासन दिया गया हो, ऐसी हमारे पास जानकारी नहीं है। हासमपुर को ऐसा आश्वासन दिया गया है, ऐसा सही नहीं। इन्स्पेक्टर ने

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रिपोर्ट की थी कि इसे हाई स्कूल बनाया जाय। अगर इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट को ही आश्वासन समझ लिया गया है तो यह दूसरी बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के विभाग की ओर से तीन स्थानों को ऐसा पत्र दिया गया कि तुम्हारी स्कूलों को हाई स्कूल में कन्वर्ट करने के लिये बिल्डिंगें बना दो, और उसमें छाजा का नॉगल का नाम नहीं दिया?

श्री मोहन लाल सुखाडिया—तीन स्थान ही नहीं हैं। यह संभव हो सकता है कि और भी ऐसे कई स्थान हो सकते हैं जहाँ के लोग आये हों और उन्होने निर्धारित शर्त पूरी नहीं की हों।

श्री रूपनारायण शास्त्री—छाजा की नांगल की जन-संख्या कितनी है?

श्री मोहन लाल सुखाडिया—जन संख्या के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। इसमें विशेषता यह थी कि ग्राम के लोग, किसान लोग श्रमदान के द्वारा इस भवन को तैयार कर रहे हैं, इसलिये इसे चुना गया।

श्री रूपनारायण शास्त्री—छाजा की नांगल में १८ घर हैं और १०० से ज्यादा वहां के लोगों की संख्या नहीं है और न ही पढ़ने वालों की संख्या है। श्रमदान की बात कही गई है वह भी गलत है, वहां दो-तीन कमरे पहले से बने हुए हैं।

श्री मोहन लाल सुखाडिया—जिन चीजों को देख कर हाई स्कूल बनाया जाता है, वह मैं बता चुका हूँ, उन्हें दोहराना मैं ठीक नहीं समझता। उन सब चीजों को सोच कर ही वहाँ बनाया है, हासमपुर में नहीं किया।

श्री हरि कृष्ण व्यास—भवन बनाने का उल्लेख किया गया है, वह भवन तैयार है या नहीं? अगर तैयार है तो किसने इन्स्पेक्शन किया?

की मोहन लाल सुखाडिया—इसका तो राजस्थान सरकार से ताल्लुक नहीं, युनिवर्सिटी की तरफ से इंस्पेक्टर भेजने के बाद में तय किया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जमा नहीं कराया, ऐसी जानकारी मैंने आपको दी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को इसकी सूचना है कि युनिवर्सिटी की रसीद उनके पास है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह युनिवर्सिटी की रसीद है। वह युनिवर्सिटी की रसीद सरकारी नही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इससे सरकार की रजाबन्दी प्रिज़्यूम की जावे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—युनिवर्सिटी की रसीद का हमारी योजना के साथ संबन्ध नहीं हो सकता है। युनिवर्सिटी की रसीद का प्रश्न नहीं आता, रूपया सरकार में जमा होना चाहिये और उसके बाद हाई स्कूल खोलने का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने ही तो लेटर उनको एड्रेस किया है। यह सारी बात सरकार जांच करावें तो पता चल सकता है। मेरा पूछने का मतलब यह है कि अगर स्कूल खोलना नहीं था तो रुपया जमा कराने के लिये इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल ने ऐसा क्यों किया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आप अभी जो जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में जांच की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल बनाने के लिये जो जो नाम उसमें आये वे कोनसी तारीख को जेर तजवीज आये?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—१८ अगस्त को।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और उसके पहले जिन जिन जगहों के अन्डर कन्सीडेशन के लिये नाम थे वे कौन थे?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरे पास सारी जानकारी नहीं। अजीतगढ़ की बात चलती थी, अभी जो छाजा का नागल है उसकी भी बात चीत थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस स्थान के बारे में सरकार ने इन्सपेक्टर या डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल से वहां जाकर इन्सपेक्शन करके रिपोर्ट हासिल की है कि यहां पर दूसरी जगहों के मुकाबले में ज्यादा सहूलियतें उपलब्ध हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह सारा डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की सलाह से किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं स्पेसेफिक क्वेश्चन का स्पेसेफिक आन्सर चाहता हूँ, जनरल नहीं चाहता। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने जयपुर में बैठे २ यह किया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किसी ने स्थान पर जा कर इसकी जांच की या नहीं, उसका उत्तर चाहता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसके लिये मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कौन गया। जब डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन लिख देता है तो हम उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने तो उस मामले में रिपोर्ट दी है और स्कूलों के सिलसिले में जो तार आया है वह सरप्राइज़िंग है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इन्सपेक्शन ऑफ स्कूल तो होते हैं। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल वहां जाकर आये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--आप उस रिपोर्ट को जो, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने भेजी है, उसको सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हैं। मैं इस बात से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैंने कहा वह वहां पर जाकर आये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं यह अभी भी कहता हूँ कि वे वहां पर नहीं गये। मैं चैलेंज पेश करता हूँ कि वे वहां पर नहीं गये No such report has ever been made.

श्री तनसिंह--माननीय अध्यक्ष, ६-१० मिनट तो एक ही प्रश्न में ले लिये, बाकी के लिये हम इन्तजार करते रहेंगे।

एक और सदस्य--यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको और ज्यादा समय दिया जाये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरा तो स्पष्टीकरण है।

श्री मोतीलाल चौधरी--क्या मंत्री महोदय बतावेंगे कि हाई स्कूल खोलने के लिये क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७

भूस्वामियों की समस्या पर विचार करने व हल निकालने हेतु समिति निर्माण

श्री तनसिंह--क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भूस्वामियों की समस्या पर विचार करने और उनका हल निकालने के लिये किसी कमेटी के निर्माण की घोषणा की है?

(ख) क्या यह घोषणा सरकार और भूस्वामी संघ के दर्मियान किसी समझौते के फल स्वरुप की गई थी ?

(ग) उक्त कमेटी में अब तक कौन कौन सदस्य नामजद हो चुके हैं ?

(घ) भूस्वामी संघ की ओर से किसी भी व्यक्ति के नामजद न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) समझौते का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन भूस्वामी संघ की तरफ से पुनःस्थापन के

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

विषय में विचार करने की एक कमेटी का निर्माण करने की बात रक्खी गई थी उसे सिर्फ सरकार ने स्वीकार किया है।

(ग) कोई भी सदस्य नामजद नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या २८

महाराजा किशनगढ़ मिल्स को पुनः चालू करने इत्यादि संबंधी शासकीय कार्यवाही

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योगमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) महाराजा किशनगढ़ मिल्स लि० कब बंद हुई ?

(ख) उक्त मिल्स में कितने कर्मचारी काम करते थे ?

(ग) उक्त मिल्स के वापिस चालू करने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(घ) उक्त मिल्स के बंद होने से बेकार हुये मजदूरों को काम पर लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) तारीख २६-५-१९५५ को मिल का एक विभाग बंद हुआ और ता० १०. ६. ५५ को पूरी मिल बंद हुई।

(ख) मिल में, जब वह बंद हुई तब करीब १२०० कर्मचारी काम करते थे।

(ग) यहां से केन्द्र के विशेषज्ञ को भेज कर मशीनों की जांच करवायी गयी है और मिल्स को सरकार द्वारा चलाने या चलवाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(घ) ये मजदूर वापिस मिल चालू होने पर ही काम पर लग सकेंगे क्योंकि वहां पर अन्य कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां एक साथ इन आदमियों को काम मिल सके।

श्री चांदमल मेहता—इस मिल के बंद होने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मिल के व्यवस्थापक की अच्छी व्यवस्था न होना।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के ध्यान में है कि पिछले ३ वर्षों में कई मर्तबा यह मील बंद हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—इस मिल के बार बार बन्द होने के साथ में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—सरकार ने जब भी यह मिल बन्द हुई तो इसको चलवाने की कोशिश की और अभी भी इस को चलवाने के लिये जो कुछ सरकार से हो सकता है कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार बतावेगी कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री भोगीलाल पंड्या—केन्द्र से विशेषज्ञ बुलाये गये, पुर्जों की जांच करायी गयी, इसके बाद यहां से भी दो बार राजस्थान सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी गयी और सदस्यों को भेजा गया, उनकी रिपोर्ट मंगायी गयी। इसके साथ साथ अन्य अच्छे अच्छे लोगों को, टेक्सटाइल के अनुभवियों को और जिनको मिल का अनुभव है उनको बुलाया गया और कहा गया कि वे जाकर देखें और इसको लेकर चलाना चाहें तो चलावें।

श्री चांदमल मेहता—विशेषज्ञों ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब दी?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे तारीख तो याद नहीं लेकिन डेढ़ महीना हो गया है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है, जब सरकार यह जानती है कि यह मिल बार बार बन्द होती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके बाद में जब यह देखा कि यह मील ठीक तरह से नहीं चलती है तो सरकार ने अर्थ और उद्योग विभाग के अधिकारियों को भेजा कि ऐसा होना चाहिये कि यह मील चालू हो जाये और किशनगढ़ के व्यापारियों को सुविधा मिले।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि Industries Development & Regulation नाम का एक एक्ट मौजूद है जिसके सेक्शन ७ के अनुसार फैक्ट्री या मिल को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, उसको लेने के लिए जितनी कार्यवाही हो सकती थी, की गयी है। इस संबंध में लॉ डिपार्टमेंट को पूछा गया और उसके बाद मिल मालिक को नोटिस दिया गया। अब वह इस बात को मंजूर करता है कि सरकार या दूसरा कोई भी इस मिल को चलाना चाहे, तो चलावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नोटिस कब दिया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब १५ दिन हो गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने दिन का नोटिस देने की कानून के अनुसार आवश्यकता होती है?

श्री अध्यक्ष—It is a legal affair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मिल बन्द होते ही इस प्रकार का नोटिस क्यों नहीं दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह जांच करानी थी कि यह बन्द क्यों है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि डेढ़ साल पहले ही सरकार इसकी जांच करवा चुकी थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उसके बाद तो मिल चालू हो गयी थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस रिपोर्ट में पाया गया कि इन्श्योरेन्स कम्पनी का रुपया भी लेकर खा गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है, उसके लिये कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी गड़बड़ी जिस मिल में हो उसके लिए फिर जांच की क्या जरूरत थी । सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मिल की स्थिति के बारे में जांच करनी थी और बहुत बार जांच की गयी । हो सकता है कि और पुर्जे खराब हो गये हों, मशीनरी खराब हो गई हो इसलिये और जांच होना आवश्यक है क्योंकि ऐसी घाटे में चलने वाली मिल में जब सरकार रुपया लगायेगी तो सरकार को जांच करवाना आवश्यक होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिल के मजदूर और मुलाजिम जो हैं उनका कहना है कि यह घाटे में नहीं चल रहा है, किन्तु डेढ़ करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाया है । हिसाब में घाटा बता रहे है । जांच करायी जा चुकी थी ।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, लड़ाई के समय में कमाया होगा, चार साल से तो घाटा होता जा रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिल के मजदूरों और कर्मचारियों ने सरकार को यह लिख कर कहा है कि बेलेन्सशीट में दीखाई गयी स्थिति गलत है, धोखेबाजी है, उसको साबित कर सकते हैं; उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार के सामने जो शिकायतें आयी हैं उनकी जांच की गयी है, जानकारी प्राप्त की गयी है । अगर ऐसी बात है तो कोर्ट में जाना चाहिये । सरकार तो अपने नियमानुसार ही कार्यवाही करती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिल मैनेजमेंट के सिलसिले में भारत सरकार से कहकर इन्सपेक्टर नियुक्त कर सकते थे ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा ।

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने जब भी यह मिल बंद हुई तो इसको चलवाने की कोशिश की और अभी भी इसको चलवाने के लिए जो कुछ सरकार से हो सकता है कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम्पनी लॉज़ के मातहत इन्सपेक्टर नियुक्त करने का अधिकार है। क्या इस प्रकार के मिस मैनेजमेंट को देखते हुए इस मिस-मैनेजमेंट के लिए इन्सपेक्टर की नियुक्ति कराई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—समय समय पर यदि इन्सपेक्शन की जरुरत हुई तो इन्सपेक्शन कराया ही गया है और यह आपको मालूम ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—साफ साफ उत्तर दीजिये। इन्सपेक्टर की नियुक्ति की गयी है या नहीं? नहीं की गयी तो यह लॉज़ ककॉन्ट्रेरी है।

श्री भोगीलाल पंड्या—इन्सपेक्टर नियुक्त नहीं किया गया। जांच समय समय पर अवश्य कराई गयी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्सपेक्टर की नियुक्ति की कार्यवाही क्यों नहीं करायी गई?

श्री भोगीलाल पंड्या—आवश्यक नहीं समझा गया होगा तो नहीं करायी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इतना मिस मैनेजमेंट अकाउन्ट्स के बारे में है, इतनी गड़बड़ियां हैं उनके बावजूद भी क्यों नहीं इन्सपेक्टर की नियुक्ति की आवश्यकता समझी गयी?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार द्वारा जो कुछ भी मिस मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए किया जा सकता था वह किया गया और जो नहीं कर सकती थी वह नहीं किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि मिल मैनेजमेंट को सहूलियतें देने से उनका दिमाग चढ़ा दिया है सरकार ने?

(घंटी)

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने सुविधायें देकर, मिल बंद थी उसको चलवाया, यह ठीक ठीक कह रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी स्थिति में भी फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन से १५ लाख का कर्ज दे, यह और सिफारिश की गई?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार यह चाहती है कि मिल चले और जो कार्पोरेशन के नियम हैं उनके अनुसार वह कर्ज देगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह देखते हुये भी कि इन्श्योरेंस कम्पनी से आया हुआ रुपया भी किसी काम में नहीं लिया और उसके बावजूद भी ऐसा किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे यह जानकारी नहीं थी। भारत सरकार के इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन के नियम बने हुए हैं, वे उसकी जांच करेंगें और उसके अनुसार कार्यवाही करेंगें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस वक्त सरकार ने सिफारिश की थी उस वक्त रिपोर्ट मौजूद थी कि इन्शयोरेन्स कम्पनी का दिया हुआ रुपया स्पिन्डल्स खरीदने में नहीं लगाया, उसके बावजूद भी ऐसा किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या-मेरी जानकारी में नहीं था। भारत सरकार को सूचना देते हैं और इसलिये सूचना देने की आवश्यकता भी नहीं रहती है कि भारत सरकार ठोक-पींज कर रुपया देती है।

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक प्रश्न और है। क्या यह सही है कि पेमेन्ट ऑफ वेजेज़ एक्ट के अनुसार डिक्री हो चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसकी वसूली के लिए क्या सरकार ने प्रयत्न किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अटेचमेंट हो चुका है। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

श्री चांदमल मेहता—उक्त मिल के चालू होने की कितने अर्से में उम्मीद की जा सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार अपनी ओर से कोशिश करती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो महिने के बाद मिल को टेक ऑवर कर लेंगें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। कोशिश तो यही है कि किसी तरह से मिल चले।

श्री चांदमल मेहता—जो मजदूर बेकार हो गए हैं उनको मजदूरी पर नहीं लगाने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनका पैसा बाकी था, बहुत प्रयत्न करके थोड़ा बहुत रुपया चुकवा दिया। उनकी तरफ से प्रस्ताव आया कि तालाब और सड़कों के कार्य चालू कराए जावें ताकि मजदूरों को पैसा मिले। इसके लिए सरकार ने प्रयत्न किया किन्तु वर्षा आ जाने से वे लोग अन्य खेती के काम में लग गये। उसके पश्चात् जो लोग हैंडलूम का काम जानते थे उनको रुपया दिया गया और मांग की है उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी। इसके सिवाय कोई ऐसी योजना आवेगी कि मजदूरों को मजदूरी दिलाई जाय तो उसका स्वागत करेंगें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि····

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order please !

उदयपुर के भूतपूर्व महाराणा एवं श्रीमन् महाराज प्रमुख श्री भूपालसिंहजी के देहावसान पर शोक प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष, हम पिछले सत्र में जब यहां एकत्रित हुए और उसके बाद आज अब यहां सेशन हो रहा है उसके बीच में मैं सदन के सन्मुख आपके द्वारा उस दुखद घटना को रखना चाहता हूँ कि राजस्थान के स्वर्गीय श्रीमान् महाराज प्रमुख महाराणा श्री भूपालसिंहजी का देहावसान इस बीच के अर्से में हो गया। मैं समझता हूँ कि हममें से हर एक व्यक्ति जानता है कि उन्होंने इस राजस्थान के निर्माण के अन्दर पहल की थी और उनका जीवन इस प्रकार का रहा था कि वे हजारों आदमियों को हर प्रकार से दया और सहानुभूति की वृत्ति से हमेशा निभाते रहे। अपने जीवनकाल में उन्होंने धन को एकत्रित करने के बजाय जो भी उनके आश्रित थे उनको अधिक से अधिक सहारा जो वे दे सकते थे, सहारा दिया। इतनी अवस्था के होते हुये भी उन्होंने युग के अनुकूल ढलने का प्रयत्न किया और अपने जीवन में जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं, कभी भी जो कि अच्छा प्रगतिशील युग आया, उसके विरोध में किसी प्रकार की बात उन्होंने नहीं की। इस निधन से राजस्थान को एक बहुत कड़ी हानि हुई है और इस दृष्टि से मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव पेश करता हूँ....

"इस सत्र में एकत्रित विधान सभा के सदस्यगण स्वर्गीय श्रीमन् महाराज प्रमुख, श्री महाराणा साहब भूपालसिंहजी के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करते हैं और परम पिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करते हैं।"

कु० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Speaker, Sir, on behalf of the opposition I join myself with heart—felt feeling with the Chief Minister who has put up a resolution on this melancholy occasion. It is not necessary for me at this stage to give vent to my feelings and those of my friends who are sitting on this side of the House. I would only associate myself by saying a few words to the effect that not only Rajasthan has become poorer by this great soul's departure from this world but the whole of India has become poorer. He was undoubtedly a very great man and a very great prince; in fact he was the last symbol of princely India. His magnanimity and largeness of heart are well known all over the country and it is indeed a very sad occasion for us, the people of Rajasthan and indeed of India, that at this juncture

[कुं० श्री जसवंत सिंह]

such a great man and such a prince should depart. We whole heartedly associate ourselves with the grief expressed by our Chief Minister and request that this condolence message may be conveyed by you to the bereaved family.

श्री अध्यक्ष—इस दुःखद प्रसंग के अवसर पर मैं सदन के नेता और विरोधी दल के नेता ने जो उद्‌गार प्रगट किये हैं उनमें अपनी ओर से और सारे सदन के माननीय सदस्यों की ओर से संवेदना के भाव सम्मिलित करता हूँ। मुझे विशेष विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हममें से प्रत्येक सदस्य इस बात को जानता है कि राजस्थान के नव निर्माण में और राजस्थान के एकीकरण में किस प्रकार का हाथ इन दिवंगत आत्मा का रहा है। ऐसे अवसर पर मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये खड़े होकर दो मिनिट तक प्रार्थना करें। उसके बाद इनके सम्मान के प्रतीक स्वरूप हम इस सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित कर देंगे।

(दो मिनिट तक सदन के सदस्य मौनावस्था में खड़े रहे। तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ११ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही ११.१५ पर पुनः प्रारम्भ)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक काम रोको प्रस्ताव....

श्री माधव प्रसाद एन. पंडित, सदस्य, राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं सदन के समक्ष दूसरी दुखद घटना के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब पिछला अधिवेशन हुआ उसके बीच में इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री माधवप्रसाद एन. पंडित का देहावसान हो गया। इस सम्बन्ध में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ।

वह राजस्थान के बाहर बहुत लम्बे अरसे से बम्बई में सोलिसिटर के तौर पर ख्याति प्राप्त कर चुके थे और वहां पर उन्होंने कई संस्थाओं का निर्माण किया और राजस्थान की सेवा के बारे में भी बराबर रुचि लेते रहे थे। काफी अवस्था होने पर भी वे राजस्थान में कार्य करने की दृष्टि से यहां के, सदन के सदस्य बने और हम सब देखते थे कि उनका स्वास्थ्य काफी खराब होते हुए भी वे अपने तौर से जितना संभव था दिलचस्पी लिया करते थे यहां के कार्यक्रम के बारे में। लेकिन उनके पुत्र के देहावसान के बाद उनकी स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती गई और उनका देहावसान हो गया। मैं मृतात्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन भी आपके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, श्री माधवप्रसादजी एन. पंडित मेरे पुराने मित्रों में से एक मित्र थे। मुझे याद है कि कम से कम ३५ वर्ष पहले मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। उसके बाद राजस्थान विधान सभा में आने के लिए आम चुनावों में मेरा और उनका सहयोग रहा। वृद्धावस्था की वजह से जितनी उनकी इच्छा थी उतना वे काम नहीं कर सके। फिर भी ऐसे कामों के लिए वे हमेशा रुचि रखते और इसके अलावा हमारे इस सदन के एक सदस्य होने के नाते भी यह स्वाभाविक है कि हमें इस घटना से अत्यन्त दुख है और यह सदन मृतात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करे। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो फरमाया है उसका हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—जो उद्गार सदन के नेता और विरोधी दल के नेता ने श्री माधव नानूरामजी पंडित के स्वर्गवास के ऊपर प्रकट किये हैं उनके साथ में सदन के सदस्यों की और अपनी संवेदना संबंधित करता हूँ।

श्री माधव एन. पंडित बड़े सेवाभावी, योग्य और ऐसे व्यक्ति थे जिनका सारा जीवन शिक्षा और देश-सेवा के अन्दर व्यतीत हुआ। ऐसे योग्य और विद्वान सदस्य से वंचित हो जाना हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। उनका निधन चूंकि ३ सितम्बर को हुआ और मैं इसको उचित समझता हूँ कि हम सब लोग जब एक अरसे के बाद में यहां एकत्रित हुए हैं तो उस मृतात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर २ मिनिट के लिए मृतात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन के सदस्य दो मिनिट तक दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये मौन खड़े रहे)।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन यह है कि इस सदन के एक व्यक्ति के निधन के दुखद समाचार के सिलसिले में जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उसके साथ साथ कुछ समय तक उनकी श्रद्धांजलि के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए और इस सदन के सदस्य के उपयुक्त वह कार्यवाही होनी चाहिए। हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट में भी ऐसा हुआ है। एक काफी अर्से से वे हमारे कलीग रहे हैं, इस नाते मैं यह महसूस करता हूँ कि हमें इस सिलसिले में इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिए और एडजर्न करना चाहिए।

श्री मानसिंह महार—मैं श्री एच. के. व्यास का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—यह एक बहुत नाजुक विषय है क्योंकि ऐसी बातों से हमारी परम्परा कायम होती है। मैं इस विषय में जो कुछ कहूँगा वह परम्पराएं हैं उन्ही को मद्देनज़र करके आपसे निवेदन करूंगा कि सदन को कार्यवाही स्थगित करना चाहिये, जब कि ऐसी दुर्घटना सदन के अन्तर्गत हो

[श्री अध्यक्ष]

जाय या उस समय में हो जाय जब सदन का अधिवेशन चालू हो, या कोई ऐसा एक असाधारण व्यक्तित्व जो न केवल इस सभा का सदस्य हो बल्कि सारे प्रान्त और देश का है, उसके स्वर्गवासी होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, किन्तु मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम फिर आध घण्टे के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करदें। इस बारे में मैं यह जानना चाहूँगा कि सदन के नेता की क्या मन्शा है।

(कई सदस्यों की आवाज "स्थगित होना चाहिये")

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे एड्जोर्न करने के बारे में कोई आपत्ति है नहीं। मैं समझता हूं की कुछ समय के लिये एड्जोर्न करदें।

श्री भैरूसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में ईश्वर के कोप से जो लोग स्वर्गवासी हुए उनके प्रति श्रद्धान्जली अर्पित की है, किन्तु उन नागरिकों को भी हमें नहीं भुलाना चाहिये जिन्होंने गोआ में बलिदान दिया है। उन सब को श्रद्धान्जली अर्पित करने के लिये सदन की कार्यवाही आज के लिये स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष— This is quite a different occasion and we should not mix up issues. It is an issue which has arisen on the death of a Member and we should not mix up other political issues.

श्री भैरूसिंह—उनके लिये श्रद्धान्जली अर्पित करनी है इसलिये मैंने प्रार्थना की है।

श्री अध्यक्ष—This is no occasion.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिये कुछ समय के लिये सदन की कार्यवाही एडजोर्न कर दें।

श्री अध्यक्ष—Then we again adjourn to meet at quarter to twelve.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही पौने बारह बजे तक के लिये स्थगित की गई एवं ११.५०बजे मध्याह्न पूर्व पुनः सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।)

गोआ में हुई हत्याएँ एवं आन्दोलन सम्बन्धी श्री मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—(श्री मुख्य मन्त्री से) Yes.

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा—आने ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, कुछ समय पहले जब कि हम एक शोक प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, गोआ के सम्बन्ध में भी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमें श्रद्धा-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

न्जलि अर्पित करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि गोआ में जो कुछ हुआ और जिस बर्बरता के साथ भारतवर्ष के जो लोग गये थे, और हमारे राजस्थान से भी जो एक भाई गये थे, उनकी जिस प्रकार हत्या की गई और उसके बारे में जो देश में क्षोभ था, नाराजगी थी और जिन्होंने वहां जा कर कुर्बानी की, उनके प्रति सहानुभूति, श्रद्धा थी, उसके बारे में देश में कोई दो राय नहीं है । इस प्रश्न पर संसद में भी बहस हुई थी और जो लोग त्याग की भावना लेकर वहां गये थे, इस भावना से कि गोआ हमारे देश का अंग है और उसकी स्वतन्त्रता के लिये उन्होंने वहां कार्य किया था, इसके लिये हमको सहानुभूति है । परन्तु साथ ही यह बात है कि गोआ वैधानिक दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतन्त्र देश है और उसके बारे में यहां पर हम किसी भी प्रकार की ऐसी बात करें कि जिससे उन चीजों का असर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से चीजों पर पड़े तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा ।

जो कुर्बानी करता है, त्याग करता है उसके प्रति सहानुभूति हममें से प्रत्येक व्यक्ति की है और हम हाउस को एडजोर्न करें या और कोई चीज करें तो यह मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा क्योंकि संसद, जो कि हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है उसने भी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की । वह संसद भी उस वक्त चल रहा था जब यह १५ अगस्त का काण्ड हुआ । उसके बाद गोआ के बारे में स्थिति स्पष्ट हो गई है । हम कोई अन्तर्राष्ट्रीय उलझन पैदा नहीं करना चाहते ।

मैं समझता हूं कि मैंने जो इतना कहा है उसके बाद इस बात को यहीं समाप्त कर दें और इस विषय पर कोई बहस हो कर भावों में अन्तर आये, चर्चाओं में फंसें, वह उपयुक्त नहीं होगा ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री केसरीसिंह ने, वि० सं० ७६, विधान सभा की बैठकों से २६ सितम्बर से २९ सितम्बर, १९५५ तक, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अथवा राजप्रमुख की अनुमति

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री मनसा राम पुरोहित)—महोदय, राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति अथवा राजप्रमुख की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रखता हूं ।

विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई :

The Rajasthan General Clauses Bill, 1954.

विधेयक जिन पर राजप्रमुख की अनुमति हुई :

1. The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1955.
2. The Rajasthan Review and Validation of Rent Rates Bill, 1955.
3. The Rajasthan Khadi and Village Industries Board Bill, 1955.
4. The Rajasthan Finance (Agricultural Income-Tax) Bill, 1955.

श्री हरिकृष्ण व्यास—बिल पास होने के बाद एक्ट माने जावेंगे, फिर बिल कैसे रहे।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

श्री अध्यक्ष— ऑर्डर ! श्री दामोदरलाल व्यास—

(क) राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेगुलेटिंग (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ग) जागीर संबंधी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) अध्यादेश, १९५५

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीर संबन्धी निर्णय तथा कार्यवाही वैधकरण अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(घ) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रहण (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ङ) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(च) राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी विभाग मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज़ पर रखता हूँ।

(छ) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) अध्यादेश १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ज) जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर म्युनिसिपल (संशोधन) अध्यादेश १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(झ) जयपुर शहर नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(ञ) राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (सेकन्ड संशोधन) अध्यादेश, १९५५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर राजस्थान मोटर वाहन नियमावली, १९५१ के संशोधन रखना

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल्स, १९५१ में गृह विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १० (८) ५५ गृह २।५३/१ दिनांक १७ जून, १९५५ एवं संख्या एफ १० (६) ५३।गृह २।५२ दिनांक १७ जून, १९५५ द्वारा जो संशोधन किये गये हैं उनको सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा के प्रतिबन्ध) आनियम, १९५१ का संशोधन रखना

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा के प्रतिबन्ध) आनियम, १९५१, में नियुक्ति (सी) विभाग विज्ञप्ति संख्या एफ १४ (४) नियुक्ति (सी) ।५१, दिनांक ७ अप्रेल, १९५५ द्वारा जो संशोधन किया गया है उसको सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर रखा गया नियोजन लेखा १६५२–५३ तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५४

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) —अध्यक्ष महोदय, मैं नियोजन लेखा १६५२–५३ तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५४ (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १६५२–५३ तथा आडिट रिपोर्ट १६५४) को सदन की मेज़ पर रखता हूं ।

श्री संतोषसिंह—मैंने जो पेश किया है उस पर निर्णय होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

सदन की मेज़ पर रखा गया वित्त लेखा १६५२–५३ तथा अंकेक्षा प्रति वेदन १६५३

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, वित्त लेखा १६५२–५३ तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५३ (फाइनेन्स एकाउन्ट्स १६५२–५३ तथा आडिट रिपोर्ट १६५३) को सदन की मेज़ पर रखता हूं ।

भूस्वामी आन्दोलन सम्बन्धी श्री सन्तोषसिंह कछवाहा का स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष— (श्री संतोषसिंह को संबोधित करते हुए) आपको सूचना दे दी है । That has been rejected.

श्री संतोषसिंह—यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर विचार होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आपको निर्णय की सूचना दें दी गई है । आप क्या सूचना चाहते हैं ? काम–रोको प्रस्ताव आपने जो पेश किया है उसको अस्वीकार कर दिया है । सदन के सामने कोई भी काम–रोको प्रस्ताव तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं स्वीकृति नहीं दूं । दो काम रोको प्रस्ताव मेरे पास आये । एक आपका था जिसकी सूचना मैंने आपको दे दी । श्री भेरूंसिंहजी ने भी जो काम–रोको प्रस्ताव दिया उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया । यह जरूरी नहीं कि हर काम–रोको प्रस्ताव को माना ही जावे । गृह मंत्रीजी को कह दिया है कि अगर वे इस पर कुछ कहना चाहें तो वे कल या बाद में प्रकाश डालें ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Can I say a few words ? मैं निवेदन करूंगा कि जो काम रोको प्रस्ताव है उनमें रूल्स के अनुसार कार्यवाही की जाती है और आपका निर्णय हो गया तो कोई कार्यवाही नहीं रह गई है । अगर इस पर मंत्री महोदय द्वारा प्रकाश डाला जावे तो में समझता हूँ कि काफी गलत फहमी दूर हो सकती है । अगर आज इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला जावे, तो कल या परसों इस पर प्रकाश डाला जावे तो गलत फहमी मिट जावेगी । तो में संबन्धित मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबन्ध में कुछ कहेंगे, स्टेटमेंट के रूप में कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—I wish they respond to the appeal.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—नन्दसिंह के बारे में आपका प्रस्ताव आया है, उसके बारे में मैं कल अवश्य निवेदन करूंगा ।

नियोजन लेखा इत्यादि के विषय में श्री हरिकृष्ण व्यास के प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह एप्रोपियेशन एकाउन्ट्स तथा ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेन्स एकाउन्ट्स आदि के सिलसिले में मोशन करने की इजाजत चाही थी कि सदन इस पर वादविवाद करे। मुझे उस पर कोई सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—That has been disallowed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—A copy of the motion was delivered to the Hon'ble Member on the 23rd September, 1955, and his notice has been received just now today, That has been rejected.

श्री हरिकृष्ण व्यास—समय की कमी के कारण रिजेक्ट किया गया तो मैं यह कहूँगा कि २३ के बाद २४ का दिन रहा, २५ को छुट्टी हो गई। अगर आप कहेंगे तो मैं ७ दिन बाद कर दूं।

श्री अध्यक्ष—I will not like to advise the Hon'ble Member. The Rules are there and he is always at liberty to refer to them.

(क) धौलपुर पेशाकर उत्पादन विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित किये गये विधेयक

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं धोलपुर पेशाकर उत्पादन विधेयक, १९५५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अमृतलाल यादव—मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

(श्री संतोष सिंह पुनः खड़े हुए और जब यह कहा कि आपने लिखा था कि सदन के पहले दिन इस विषय पर विचार किया जावेगा तो उस पर श्री अध्यक्ष ने उन्हें अध्यक्षीय कक्ष में बात करने का आदेश प्रदान किया)

(ख) राजस्थान राजग्रामी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५

श्री दामोदर लाल व्यास—(राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजधानी सम्पत्ति नियमन विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूँ।

(ग) राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रोडयूस रेन्ट्स रेगुलेटिंग (संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूँ।

(घ) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन), १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान भू राजस्व, विधेयक १९५४ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्वी मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि लैंड रवेन्यू बिल पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के हेतु नियत समय को २६ सितम्बर १९५५ तक और बढ़ाया जावे।

(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, राजस्व मंत्री जी के प्रस्ताव पर मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इस विधेयक की अवधि ३० अक्तूबर तक बढ़ायी जाय। वैसे मेरी बात सुनकर यह अजीब बात मालूम हुई होगी कि जितना समय उन्होंने मांगा है उससे ज्यादा समय उन्हें दिया जाय, ऐसा प्रस्ताव मैं जो कर रहा हूँ इसका विशेष कारण है और वह कारण यह है कि जिस रिपोर्ट को वे प्रस्तुत करने के लिए समय मांग रहे है अभी उसमें बहुत कुछ काम होना बाकी है। वैसे रिपोर्ट तो हो गई बताते हैं लेकिन उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रोसिजर का सवाल उठा है और वह यह है कि सदन के रूल्स के मुताबिक " A record of the decisions of a Select Committee shall be maintained and circulated to members of the Committee under the direction of the Chairman"

उसका तात्पर्य यह है कि निर्णयों का रेकर्ड मेन्टेन किया जायगा और सर्कुलेट किया जायगा। कैसे किया जायगा; उसका प्रोसिजर, तरीका, समय यह चैयरमेन के अधिकार में हैं। लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से इस सिलसिले में यह कार्यवाही पूरी नहीं हुई। इतना ही नहीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वक्त जो स्टेज थी तब उसके बारे में बिल एज अमेन्डेड वह भी उपलब्ध नहीं हो पाया और इसके बारे में एतराज भी हुए हैं जो ओन रेकर्ड हैं और पत्र-व्यवहार लेजिस्लेटिव असेम्बली के सचिवालय के बीच और संबन्धित माननीय सदस्य के बीच चल रहा है। चूंकि वह गल्ती दुरूस्त करनी पड़ेगी और मेन्डेटरी प्रोसिजर फोलो करना पड़ेगा और इसमें समय कुछ लगेगा और शायद उनके ध्यान में यह बात नहीं इसलिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस ओर ध्यान दिलाने के लिए समय वे जितना मांग रहे है उसमें यह सारा प्रोसिजर पूरा नहीं होगा, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ मुझे उम्मीद है कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। सही रिपोर्ट सदन को उपलब्ध होने के लिए वे यह मान लेंगे और अगर मेरा यह प्रस्ताव पास नहीं होता है और प्रस्तुत हो ही जाता है तो उस वक्त जो भी एतराज मुझे करने है वे मैं करूंगा।

श्री दामोदर लाल व्यास—यह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट युनेनिमस है, सब सदस्यों ने उस पर दस्तखत किये है। रिपोर्ट बाकायदा ड्राफ्ट की गई है और पेश की गई है और मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Including the Member Opposing it.

(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े होने पर) Order please !

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—रिपोर्ट बाकायदा सबमिट की गई है।

श्री तनसिंह—On a point of order, Sir, I am in possession of the House. मैं रूल १३१ सब रूल (७) के मुतल्लिक एतराज करता हूँ कि जो कुछ भी डिसिजन किया जाता है, जो कुछ भी बातें होती हैं सिलेक्ट कमेटी में वे हाउस के सामने नहीं रखी जाती हैं। माननीय सदस्य और माननीय मंत्री महोदय इन बातों का रेफरेन्स दे रहे हैं कि ये सिलेक्ट कमेटी में बातचीतें हुईं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे माननीय मित्र को थोड़ी गलतफहमी हो गई है।

श्री अध्यक्ष—I do'nt want that the time of the House should be wasted. I want the Revenue Minister to reply.

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की वह और सब सदस्यों को भेजी गई, अवधि नियत कर दी गई कि इस अमुक अवधि में यदि नोट ऑफ डिसेन्ट भेजना हो तो भेज सकेंगे किन्तु माननीय सदस्य ने कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं भिजवाया। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट युनेनिमस है और इसलिए कोई वैधानिक आपत्ति उठने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कु० श्री जसवन्त सिंह—But the point is not of the legal difficulty. In the Rules of procedure there are certain mandatory and compulsory provisions and as long as provisions are not made good, ...

श्री अध्यक्ष—प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि समय की अवधि जो बढ़ाई जारही है, जैसा कि राजस्व मंत्री ने चाहा, वही रखी जाय। सदन को निर्णय नहीं करना है कि सिलेक्ट कमेटी में क्या हुआ, किसी ने दस्तखत किये या नहीं किये। यदि राजस्व मंत्री मान लेते हैं कि ३० अक्टुबर तक बढ़ाई जाय तो सदन

Page No.63

[श्री अध्यक्ष]

को कोई आपत्ति नहीं होगी और यदि राजस्व मंत्री उसका विरोध करते हैं और जैसा कि उन्होंने चाहा है कि २६ सितम्बर तक की ही बढ़ाई जाय तो फिर उसमें आपको कोई आपत्ति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार है, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत होनी है। मुझे सिर्फ समय आज का ही चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं भी इसका जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष—जवाब की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गलत बात कही गई है।

श्री अध्यक्ष—हाउस के सामने आ जायगी। सदन गलत और सही देखकर तय करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस समय जो इसके लिये समय लगेगा वह बच जायगा।

(विराम)

२१ जुलाई १९५५ को एक पत्र सेक्रेटरी, असेम्बली को भेजा और जहां सिलेक्ट कमेटी की कार्यवाहियों का उल्लेख है उसमें साफ लिखा है मैंने "I am in receipt of your communication asking me the Minute of Dissent, if any, to the Report of the Select Committee on the Rajasthan Land Revenue Bill. I have to state that-

(a) You have not supplied me with a copy of the record of decisions of each meeting as required under the Rules.

(b) That a copy of the Bill, as amended, has also not been sent to me.

Under the circumstances, to draft my note of Dissent is not possible. I will, therefore, request you to send materials immediately."

मैंने केवल असेम्बली सेक्रेटरी को ही नहीं माननीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखते हुए प्रार्थना की थी।

"I, therefore, request you to stay further work of the Committee and issue them proper directions so that these irregularities are corrected and then the work is proceeded with."

इसका जवाब मिल जता है माननीय अध्यक्ष,

"I am directed to inform you that copies of the Minutes of meetings are not supplied to the Members of the Select Committee, who can see them in the Secreariat."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

This is signed by an officer of the Legislative Assembly Secretariat,

इसके बाद ८ अगस्त, १९५५ को पत्र लिखा जिसमें साफ लिखा है :

"...I am directed to inform you that the copies of the minutes of meetings are not supplied to the Members of the Select Committee, who can see them in the Secretariat."

ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष यह साफ बात है, कि जैसा कि रूल्स में लिखा है "A record of the decisions of a Select Committee shall be maintained and circulated."

और मुझे लिखा जारहा है कि "Not supplied to the Members" मैं यह मानता हूँ कि बाद में सेक्रेटेरिएट ने इस परिस्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश की और असेम्बली सेक्रेटेरिएट द्वारा मुझे लिखा गया कि आप तीन महीने के बाद रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? वास्तव में मैंने तीन महिने बाद नहीं मांगी। जिस दिन इसको फाइनल करने के लिये सिलेक्ट कमेटी की मिटिंग हुई उसके तीन दिन पहले ही मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी। मेरा यह कतई इरादा नहीं है कि इसको पेश होने में मैं एतराज करूं, मेरा एतराज सिर्फ इतना ही है कि इसमें कुछ खामियां रह गई है; अतः उनको कुछ समय ज्यादा लेकर ठीक करके सदन के सामने रखा जाय। इसके उपस्थित होने के बाद एतराज करूं; उससे पहले ही इस पर विचार कर लिया जाय तो ठीक रहेगा। बाद में प्रोसीजरल डिफीकल्टीज आयंगी और मुझे, उपस्थित करने के समय मजबूरी से पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाना पड़ेगा। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट थी और मेरा इस प्रकार का संशोधन था।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र ने जो पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है उसको सपोर्ट करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ.................

श्री अध्यक्ष—A point of Order does not need any support.

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं भी पोइन्ट ऑफ आर्डर की तहत अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा वह बिल्कुल दुरुस्त है। यह रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स के लिये जो मिनिट्स हों वे रिपोर्ट के फाइनल होने के पहले माननीय सदस्य को पहुँचे। इस प्रकार के सवाल सिलेक्ट कमेटीज के सामने पहले भी आये जब कि सेक्रेटेरियट द्वारा कॉपी नहीं दी गई। लेकिन जब इस बारे में क्वेश्चन रेज हुवा तो सेक्रेटेरिएट को मानना पड़ा और उसके बाद में कॉपी सप्लाई करनी पड़ी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसके बारे में साफ लिखा है। अगर कोई सदस्य नहीं मांगता है तो न दें, किन्तु मांगने पर तो कॉपी देना लाजिमी हो जाता है और रूल्स के तावे जब मांग ली जाती है तो देना कम्पलसरी हो जाता है। जब कि माननीय सदस्य ने एतराज उठा दिया तो सरकार को उसे मानने में क्या परेशानी है, मैं समझ नहीं पाया। दस-पांच दिन में तो कोई उनकी सरकार बदलने वाली नहीं, तो एक सप्ताह की अवधि और बढ़ा देने से क्या अनर्थ हो जाने वाला है। यह सरकार नहीं रहने वाली है, यह सदन भी साल भर रहने वाला है तो इसको मानने में क्या परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की तहत यह मेन्डेटरी है कि उनको कॉप

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

मिलनी चाहिये, तो जब उनको नहीं दी गई तो उनके कहने के अनुसार तो इसकी अवधि बढ़ाने में क्या एतराज हो सकता है ? अगर आप इसमें इस वक्त सुनवाई नहीं करते तो एक कदम आगे चलने के बाद रूकेंगे । आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर मानना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—I would like to hear the Chairman of the Select Committee.

कु० श्री जसवन्तसिंह—On this point or the report ?

श्री अध्यक्ष—About the facts, whether he wants to contradict or what else he has to say in the matter ?

श्री लालसिंह शक्तावत—माननीय अध्यक्ष, अभी लेन्ड रेवेन्यु बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश होने वाली है उस पर श्री एच० के० व्यास ने कुछ एतराज उपस्थित किया है । इसमें दो तरह की बातें थीं; एक तो यह है कि जो सिलेक्ट कमेटी की कार्यवाही होती है उसकी जो प्रोसीडिंग्ज होती हैं उसके मिनिट्स लिखे जाते हैं, वे सर्क्युलेट किये जांय और जब सिलेक्ट कमेटी की सारी कार्यवाही मुकम्मिल हो जाय उसके बाद रिपोर्ट तैयार होकर करेक्शन होकर पूरा ड्राफ्ट बिल तैयार हो जाने पर वह बिल सर्क्युलेट किया जाय; इस प्रकार दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है । अब सवाल यह है कि जिस तरह के अमेन्डमेन्ट्स होते हैं उनके मुताबिक दो कॉपीज़ तैयार करवा ली जाती है । मान लीजिये कि जिस बिल की सिलेक्ट कमेटी में २५ मेम्बर्स हैं, जैसा कि अमूमन बड़े बिलों में २५ आदमियों की कमेटी होती है; अगर हरेक मेम्बर को हाथ से अमेन्ड की हुई कॉपी भेजी जावे तो बड़ा मुश्किल होगा । मिनिट्स तो भेजने में कोई दिक्कत नहीं, उसकी तो कॉपी करवाकर भेज सकते हैं किन्तु जहां अमेन्डेड बिल को भेजने का ताल्लुक है यह तो छपने पर ही संभव हो सकता है । सिर्फ अमेन्डेड बिल को भेजने की दिक्कत है । लेन्ड रेवेन्यु बिल जो मैं अभी पेश कर रहा हूँ इसके अन्दर यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या मेम्बर्स को अमेन्डेड कॉपी दी जाय । जैसा कि सब माननीय सदस्य जानते हैं कि बड़े बड़े बिलों में बड़ी बड़ी गलतियां होती है, उनमें दुरुस्ती, एक एक बिल में, हाथ से करनी पड़ती है, यह छपाई का तो सवाल है नहीं । अगर छपी हुई कॉपी भेजने का सवाल हो तो हमें कोई एतराज नहीं हो सकता । इसलिये उनको वापिस सूचना दी गई कि अगर आप बिल को देखना चाहते हैं तो अमेन्डेड कॉपी आप दफ्तर के समय यानि ७ से १२ के बीच में आकर देख लेवें, देखने पर वे कोई एतराज या नोट ऑफ डिसेन्ट दे सकते थे । मेरा यह निवेदन है कि अगर इस प्रकार की अमेन्डेड कॉपी सदस्यों को भेजना पड़े तो उचित नहीं होगा । यह दफ्तर के लिये भी ठीक नहीं होगा, इसलिये कॉपी नहीं दी गई ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का नियम १३१ साफ है "A record of the decisions of a Select Committee shall be maintained and circulated to Members of the Committee under the direction of the Chairman."

एक मेम्बर ने जब आपत्ति उठा दी तो चाहे आपको या सेक्रेटेरिएट को कितनी ही तकलीफ हो, वह तो उठानी ही पड़ेगी । डेमोक्रेसी में जब हम चल रहे हैं तो इसके गुण और अवगुण दोनों ही

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

सहन करने पड़गे। मेरी राय यह है कि चाहे किसी को कितनी ही तकलीफ हो, असुविधा हो, पैसा खर्च हो उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। इसलिये कमेटी के माननीय चेयरमेन ने जो कुछ कहा है मेरी राय में वह ठीक नहीं है। जो एक सदस्य को अधिकार मिला है वह अपने अधिकार को एक्सरसाइज़ करेगा, मेरी राय में उनको कॉपी देनी पड़ेगी।

श्री लालसिंह शक्तावत—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दो बातें अलग अलग रखीं उनको स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया। श्री एच० के० व्यास ने जो प्रश्न उठाया था वह यह था कि लेन्ड रेवेन्यु बिल की अमेन्डेड कॉपी दी जाय, मिनिट्स की कॉपी मांगते तो हमें देने में कोई एतराज नहीं था। यह दोनों बातें अलग अलग हैं; एक तो बिल की अमेन्डेड कॉपी और दूसरी प्रोसीडिंग्ज़ के मिनिट्स। अमेन्डेड बिल को देने के लिये यह दिक्कत होती है कि न तो वह टाइप हो सकती है और न छप ही सकती है क्योंकि बिल को जो अमेन्ड किया जाता है वह बड़ी सावधानी से किया जाता है। जितने भी कमेटी के मेम्बर्स हों उन सब के लिये अगर अमेन्डेड कॉपी भेजी जाय तो दिक्कत होगी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आशा है मेरे इस कथन से ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई होंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह विषय तो दूसरा ही हो रहा है, माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष, यह विषय समय बढ़ाने से हटकर मैरिट पर चला गया है?

श्री अध्यक्ष—मैरिट पर नहीं जाना चाहिये। सिम्पल क्वेश्चन मेरे सामने यह है कि इस लैण्ड रेवेन्यू बिल की प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जावे या नहीं?

So I put the Quetsion to vote," That the time for the presentation of the Select Committee Report on the Rajasthan Land Revenue Bill be extended upto the 26th September, 1955.

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां कहें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले मेरे अमेन्डमेन्ट पर वोट लीजिए, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—प्रेज़ेन्टेशन पर तो फिर एतराज नहीं होगा?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस पर तो प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—I avoid the Further objection. I put it first प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव जो कि श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खा है कि "The time for the presentation of the Report be extended to 26 th october, 1955. to enable the Commi ttee to properly discuss the Report." इसको स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात)

[श्री अध्यक्ष]

ना पक्ष जीता। ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास— Ayes have it, sir.

श्री अध्यक्ष— The voice is very clear, Noes have it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, Ayes have it, Let it go into the record. Let us see those people who say 'No.'

श्री अध्यक्ष— I again put it to voice vote.

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु बिल, १९५४ को प्रस्तुत करने की तारीख ३० अक्टूबर, ५५ तक बढ़ा दी जाय।

(मत—दान के पश्चात)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास— 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष— I think the hon'ble member will cooprate with me.

'ना' पक्ष जीता। यह प्रस्ताव गिर गया, संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को २६ सितम्बर, ५५ तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री अमृतलाल यादव

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) विधेयक संशोधन, १९५४ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री अमृतलाल यादव— अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प ल (अडेप्टेशन) बिल, १९५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के हेतु नियत समय को २६ सितम्बर, १९५५ तक के लिये और बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। क्या सदन की यह अनुमति है कि इस बिल को प्रस्तुत करने की अवधि को २६ सितम्बर, ५५ तक बढ़ा दिया जावे।

(स्वीकृत)

अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई

राजस्थान भू राजस्व विधेयक १९५४ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, पहले इसके कि चैयरमैन महोदय लैण्ड रेवेन्यु बिल की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट उपस्थित करें, मैं इस सिलसिले में एक कानूनी एतराज करता हूं। चूंकि उस बारे में कुछ बातचीत अभी हो चुकी

श्री अध्यक्ष—Let first come a motion for presentation.

श्री हरिकृष्ण व्यास— बस सीधा प्रेज़ेन्ट कर ही देंगे कि आई प्रेज़ेन्ट, इसलिए पहले एतराज उठाया गया।

श्री अध्यक्ष—It is just in form of a motion, and then the Hon'ble Member an object to it.

श्री लालसिंह शक्तावत—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु बिल पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— अब मैं एतराज प्रस्तुत करता हूं।

यह जो प्रश्न है, इस पर थोड़ी चर्चा हो चुकी है पर बावजूद इसके कि कुछ तो फैक्ट्स अधूरे यहां आये हैं, कुछ गलतियां हुई हैं और कुछ, कानून की मंशा क्या है, इसके बारे में आज तक की अनभिज्ञता और अब उसे न मानने की इच्छा; ये सारी की सारी बातें आगे आई हैं।

हकीकत इस प्रकार है माननीय अध्यक्ष, कि ६ मई को सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट रक्खी गई थी, सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग रक्खी गई थी रिपोर्ट पर विचार करने के लिये। जब इस मीटिंग का नोटिस हम लोगों को मिला तो ६ मई को मैंने एक पत्र भेजा सचिवालय को जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि न तो कमेटी के मिनिट्स हमारे पास हैं और न हीं आपने बिल एज़ अमेन्डेड हमको भेजा है, अब हम अपनी राय इनके अभाव में कैसे बनावेंगे और इनके अभाव में इस पर कैसे कन्सीडर करेंगे। यह पत्र भेजने के पहले में विधान सभा के जो सचिव हैं उनसे पर्सनल्ली आकर मैं बहुत देर तक डिस्कस करके भी गया और मैंने उनसे यह कहा कि मैं कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन कठिनाई के रूप में इस बात को कह रहा हूं। उसका उत्तर मुझे ८ तारीख को मिला, जिसमें यह लिखा था कि बिल एज़ अमेन्डेड आपको नहीं मिल सकता; आप चाहें तो यहां आकर दोपहर को दो ढाई घंटे में देख लें। मैं समझता हूं कि और किसी के लिए यह सम्भव हो सकता हो तो हो सकता है, पर मेरी यह राय है कि दो ढाइ घंटे में पढ़ लेना तो किसी के लिए सम्भव नहीं हो सकता और मेरी तो यह शक्ति के बाहर का काम था कि बिल एज़ अमेन्डेड नहीं मिलने की सूरत में या मिनिट्स नहीं मिल पाने की सूरत में रिपोर्ट के बारे में अपनी राय बना लूं। यही चीज मैंने अपने पत्र में लिखी, "The Committee's decisions and intentions should be incorporated like that."

मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे पत्र पर कमेटी ने क्या राय ली ? लेकिन कमेटी ने अलबत्ता यह अपनी राय बनाई और मुझे ऐसी सूचना मिली कि कमेटी ने यह तय किया कि हम अपनी कार्यवाही

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आगे चलाते जावेंगे और वह रिपोर्ट मन्जूर हो गई। यह पहला स्टेप हुआ।

अब दूसरा स्टेप आता है। यह रिपोर्ट मन्जूर होने के बाद जुलाई के महीने में सारे के सारे सदस्यों को वह फोरवर्ड की जाती है और साथ ही उसके उप-सचिव महोदय का एक सर्कुलर आता है कि आप ३१ जुलाई तक अथवा ३० जुलाई तक, निश्चित तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन जुलाई के अन्त तक था यह मुझे याद है, अपना मिनिट ऑफ डिस्सेन्ट भेज दें अगर भेजना चाहें तो और अगर वह नहीं भेजेंगे तो यह माना जावेगा कि आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

जिस समय यह पत्र, जो एप्रूव्ड रिपोर्ट है उसके साथ मेरे पास पहुंचता है तो जैसा मैंने कहा था कि मिनिट्स ऑफ डिस्सेन्ट जुलाई के अन्त तक भेज दें, तो २१ जुलाई को मैंने दो पत्र लिखे एक सेक्रेटरी महोदय को जिसमें मेरी मंशा यह थी कि वह चैयरमैन को रेफर करेंगे और चूंकि वह नहीं कर रहे थे इसलिए एक पत्र माननीय अध्यक्ष को भी लिखा इसलिए कि आप इस मामले में गौर करें

मैंने इसमें प्रश्न यह उठाया कि न तो बिल एज़ अमेन्डेड आप मुझे दे रहे हैं जो कि एक सहूलियत की बात थी और अगर दे देते तो मैं मिनिट्स के बारे में इनसिस्ट नहीं करता; पर अगर वह नहीं देते हैं तो मिनिट्स के लिए मैं इनसिस्ट करता हूं और मैंने इसके लिए इनसिस्ट किया और इसके बारे में रूल बिलकुल साफ है वह रूल यहां देता हूं; रूल १३१ (६), जिसको दो-तीन बार पढ़ भी गया हूं। उसको पढ़ने से मतलब साफ हो जावेगा :

"131 (6) A record of the decisions of the Select Committe shall be maintained and circulated to the Members of the Committee."

This is the main body of that rule. Now :

"Under the directions of the Chairman" this is the second participle. The word "shall" is a mandatory provision applying not only to the maintenance of record, but also to its circulation. How shall it be done ? In what manner and on what date, what shall be done ? That is under the directions of the Chairman. The rule is very clear that a record of the deisons shall be maintained and circulated to the members of the Committee. The word "shall" applies to the maintenance and also to circulation and "under the directions of the Chairman" is a qualifying provision which also applies both to maintenance and circulation,

जिस समय मैंने यह एतराज उठाया उस समय मैं मिनिट ऑफ डिस्सेन्ट देने की नीयत में था, जो मिनिट ऑफ डिस्सेन्ट कि इज ए पार्ट ऑफ दी रिपोर्ट होता, लेकिन मिनिट ऑफ डिस्सेन्ट मुझे देने नहीं दिया गया, ऐसी मेरी धारणा है और मैं इसके लिए एतराज करता हूं। I was prevented from putting on record my minute of dissent, and how ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मुझे जो उत्तर दिया गया है उसमें मैंने बिल एज़ अमेन्डेड का जिक्र किया; उसमें यह कहा गया है :

"With reference to your two letters dated the 21st July 1955 addressed to the Speaker and the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, I am directed to inform you that the copies of the minutes of meetings are not supplied to the members of the Select Committee as this is not the prectice in this Secretariat"

इसका तात्पर्य यह हुआ कि या तो मैं सेक्रेटरियट में आकर मिनिट्स देखूं तब मिनिट्स ऑफ डिस्सेन्ट हो अन्यथा नहीं रख सकता। इस प्रकार का डिसीज़न देकर मुझे मेरे अधिकार से वंचित रक्खा गया है। नतीजा यह हुआ कि जो रिपोर्ट पेश की जा रही है वह नाकाफी तो है ही, अधूरी है और प्रोपर्ली यह रिपोर्ट कन्सीडर नहीं हुई है, ऐसी मेरी मान्यता है क्योंकि जब मेम्बर को रेकॉर्ड ऑफ दी मिनिट्स सर्कुलेट नहीं किये गये, बिल एज अमेन्डेड नहीं दिया गया और भले ही २५ मेम्बरों में से २४ मेम्बर बिना इन सब चीजों के सारे बिल को दो मिनिट में पास करने के लिए तैयार हों, पर अगर एक भी मेम्बर इसके लिए एतराज करे तो बिल पास नहीं कर सकते हैं; लेकिन जब तक एक भी मेम्बर इस राय का है कि अपने अधिकार को लिए बगैर अपनी राय देने को तैयार नहीं है। जब तक वह अधिकार नहीं रखा गया है तब तक रिपोर्ट has not been duly and properly considered in the Committee,

इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जारही है उसको प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जाय, बल्कि, माननीय अध्यक्ष, यह आदेश दिया जाय कि वे रूल को कम्प्लाई विथ करें और कम्प्लाई विथ होने पर बिल फिर कन्सीडर करने के बाद सदन में लाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव निर्णय के लिए रखना चाहता हूं। मैंने जो पत्र लिखे थे और जो यहां से आये हुए हैं वे इस समय मौजूद नहीं होगें। वे आपके ध्यान के लिए साथ मैं लाया हूँ। आप चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) —माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो एतराज इस रिपोर्ट पर किया है मैं समझता हूँ कि वह उनका कोई बहुत आर्ग्युमेन्ट लोगल नहीं है। आपका कहना यह है कि आपको मिनिट्स की कॉपीज़ नहीं दी गई। मैं यह अर्ज करता हूँ कि रूल १३१ के सब रूल (६) में दिया हुआ है "A record of the decisions of the Select Committee shall be maintained and circulated..."

Maintained under the directions of the Chairman.

चेयरमेन की डाइरेक्शन पर सर्कुलेशन का प्रबन्ध है।

And it is the Chairman who is to decide the method and procedure of circulation.

सिलेक्ट कमेटी आज तक जो यहां हुई है उसके अन्दर चेयरमेन ने एक ही प्रोसीजर एडॉप्ट किया है। रेकॉर्ड बराबर रखा जाता है टीज़ी उसके सर्कुलेशन केकश नरेकहैं डा इकमो ज वे यह हैं कि मेम्बर्स सेक्रेटेरियेट के ऑफिस में जब चाहें देख सकते हैं। सिलेक्ट कमेटीज़ की मीटिंग

[श्री दामोदरलाल व्यास]

में पिछली मीटिंग के मिनिट्स पढ़े जाकर एप्रूव कराये जाते हैं। इसलिए यह कहना माननीय सदस्य का कि सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्ज़ मेम्बर्स से नहीं देखी गई है, उन्हें वंचित रखा गया है; बिल्कुल गलत है।

इसके अलावा ७ मई को माननीय सदस्य ने एक चिट्ठी लिखी है और ६ मई को यह बिल फाइनली एप्रूव किया गया है। ७ मई को चिट्ठी लिखकर वह कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में चले गये। उनको टाइम नहीं था ....

श्री हरिकृष्ण व्यास—I object, Sir. The hon'ble Member has no business to go into the question where I went and where I did not go. It is none of the business of......

श्री अध्यक्ष—Should not be so enraged,

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not angry.

श्री दामोदरलाल व्यास—It is quite correct that he did not attend the meeting.

श्री अध्यक्ष—Order ! order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—He should not talk......

श्री अध्यक्ष—Order ! You should not be so out of temper.

श्री दामोदरलाल व्यास—Anyhow. One thing is that Mr. H. K. Vyas was not here on the 9 th of May, and that is why he cold not attend.

कु० श्री जसवन्त सिंह—The question is, Sir, that the time is up and many of the people are hungry; and some are angry and some are explaining; I will propo. se that......I am so hungry.........

(हंसी)

(एक आवाज, "We may sit upto 1. o'clock").

श्री अध्यक्ष—Or upto 1. 30.

अनेक माननीय सदस्य—No, No, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य का यह एतराज है कि प्रोसीडिंग्ज़ और मिनट्स कोई भी नहीं दिया गया है। ६ मई को फाइनल रिपोर्ट एप्रूव हुई थी उस वक्त माननीय

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सदस्य ने कोई एतराज नहीं उठाया। जो चिट्ठी ७ मई की भेजी है इस संबन्ध में, उसको जरा मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने कहीं मिनिट्स का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ यह लिखा है चिट्ठी में :

"In connection with later meeting of the Select Committee on the 9th May I have to place on record the following objections:—

'The draft report of the Committee has been forwarded, but a copy of the Bill, as amended, by the Committee has not been forwarded to me,"

That is all.

इसमें मिनट्स के सर्क्युलेशन के लिए कोई एतराज नहीं किया है मई तक तो। जब आपने चिट्ठी लिखी है तो ९ मई को सिलेक्ट कमेटी ने इस रिपोर्ट को एप्रूव कर लिया फाइनली, उसके २,२॥ महीने बाद में चिट्ठी लिखी है।

श्री अध्यक्ष—He must have taken that it includes everything. I did this as a compromise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन्होंने कहा था कि मिनट्स के इतने पन्ने होते हैं इसलिए बिल एज एमेन्डेड भेज देंगे and when you refused to give the Bill, as amended, you shall have to give the minutes and I shall see that you give it.

श्री दामोदरलाल व्यास—७ मई को भेजी है उससे पहले उनके दिमाग में बात नहीं थी कि मिनट्स की कॉपीज सर्क्युलेट नहीं हुई हैं। अब क्या डिफिकल्टी पेश आ रही है कि आपने एतराज किया है कि एमेन्डेड बिल की कॉपी प्रोवाइड नहीं की है। रूल्स के अन्दर कोई प्रोवीजन नहीं है कि बाकायदा एमेन्ड करके कॉपीज प्रोवाइड की जायं। सिलेक्ट कमेटी ने जो अमेन्डमेन्ट्स लिये थे उनकी कॉपी भेज दी गई थी ताकि he can very well compare with the orignal Bill, along with the amendments. एमेन्डमेन्ट्स का भी पूछ लिया और रिपोर्ट एप्रूव हो गई, तो २-२॥ महिने बाद आप सेक्रेटेरियेट में चिट्ठी भेजते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह ढाई महीने ....

श्री अध्यक्ष— Order, Order please ! The Hon'ble Member is in possession of the floor of the House. It is no use disturbing him.

श्री दामोदरलाल व्यास—आपकी चिट्ठी जो कुछ आई है वह डेटेड है २१ जुलाई, ५५ तो हिसाब लगा लीजिये कि कितने महीने हो गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने सेक्रेटेरियेट में भेजा है ३ दिन पहले।

Page No.73

श्री दामोदरलाल व्यास—उसके बाद एतराज उठाया कि हमें मिनट्स की कॉपीज़ नहीं मिलीं मेरे अर्ज करने का मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष, कि जहां तक मिनट्स के सक्युलेट करने का सवाल है उसका सब रूल (6) इस प्रकार है "A record of the decisions of the Select Committee shall be maintained." It is not disputed. A record has been maintained. "....and circulated......" Circulation का प्रोसीजर यह है "circulated to the members of the Committee under the directions of the Chairman." The Chairman has been authorised to adopt a particular procedure for circulation of these minutes and the Chairman did actually adopt that procedure, in all the Select Committee meetings, and that is that the minutes of the meetings are placed in the Secretariat. Every member can see them उसके बाद जब सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग होती है तो their minutes are opproved by the members present in the House.

इसलिए उनका एतराज बिल्कुल ठीक नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— The last part of the argument is surpassing the comprehension of a common man and common mind. I am surprised that the interpretation of this nature should be put. After all we too have some brain. May be that it may not be the same brain, but we too have a brain. To interpret that in a wrong manner that circulation depends on the will of the Chairman is altogether not in accordance with facts.

श्री अध्यक्ष— It is a matter of opinion.

कु० श्री जसवन्तसिंह– No, It is compulsory. Circulation has to be done.

श्री अध्यक्ष— As regards interpretation we must be liberal enough to accommodate each other's views.

श्री हरिकृष्ण व्यास— On a point of information, Sir, the Hon'ble Member is utterly wrong when he says that it has happned in all other Select Committees. At least I am aware of...

श्री अध्यक्ष— We are concerned for the present with this...............

श्री हरिकृष्ण व्यास— He need not bring in all other Committees, that this is the procedure. If the Chairman likes to see.........

कु० श्री जसवन्तसिंह— I am in possession of the floor of the House.

श्री अध्यक्ष— Order ! Order !!

कुं० श्री जसवन्तसिंह— One more thing. My Hon'ble friend is putting a wrong interpreation and mis-stated the facts. That is so I know-I am fortunately or unfortunately a member of several Committees. We have insisted that minute should be circulated and minutes are being circulated. It is not correct to say that they are not being circulated. I can bring with me personally several minutes of several committees which have been circulated to the members, and I do not know how it lies with the Hon'ble Member that it is not circulated. The proceedings have been circulated.

श्री मथुरादास माथुर— But with different Chairmen.

(हंसी)

श्री लालसिंह शक्तावत—माननीय अध्यक्ष, एक बात जो हमारे मन्त्री महोदय ने बताई मेरे खयाल से उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ६–५–५५ को जो मीटिंग हुई थी सिलेक्ट कमेटी की उस वक्त तक श्री व्यास ने मिनट्स के बारे में कोई एतराज नहीं किया था और इससे पहले उनके दिमाग में मिनट्स मांगने की कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि पहले वे अटेन्ड करते थे तो मिनट्स देख लेते थे, वे सबके सामने पढ़कर एप्रूव होते थे। ६ तारीख को वे यहां नहीं थे तो उन्होंने यह सवाल उठाया जो आगे चलकर उन्होंने कहा कि या तो पोस्टपोन हो जाना चाहिए, और यह बिल, एमेन्डेड बिल मिलना चाहिए। कमेटी ने बिल पास कर दिया एज् एमेन्डेड और अब तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई। दो–ढाई महीने बाद उन्होंने यह बात सोची कि मिनट्स मंगवा लें। मिनट्स मांगने की बात दो-ढाई महीने तक उनके दिमाग में नहीं आई। पीछे लेट आइडिया उनको सूझा कि यह चीज़ तो हम मांग सकते हैं। उनको मालूम हो गया कि रिपोर्ट पास हो गई है और उसके मांगने का सेक्शन में कोई प्रोवीज़न नहीं रहा। मिनट्स भेज सकते थे लेकिन उसका अब कोई प्रयोजन नहीं रहा इसलिए पीछे इस पर एतराज करने की बात खत्म होगई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिनट्स मैं चाहता हूँ।

कई आवाजें— Order ! order !! No disturbance.

श्री अध्यक्ष— So the objection is ruled out by the House itself.

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाउस नहीं, आप करें साहब।

श्री अध्यक्ष— The Hon'ble Member has the satisfaction of discussing his objection on the floor of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह प्रिसीडेन्स हो जायगा।

श्री अध्यक्ष— No, I have to say that I am not going to indulge in the proceedings of the Select Committee and any rules or any details which the Select Committee has undergone. The report of the Select Committee has been put before the House and the objection that has been raised by the member has been discussed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब रूल ५ में आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष— I am not going to indulge in any legal intricacies which ought to have been decided by the Chairman of the Select Committee, and when the Report of the Select Committee has been presented before the House I am not expected to go back. The bill of the Select Committee will be discussed clause by clause and if the Hon'ble Member has any thing to say he can say in the House and place his objections before the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास— And you can issue directions to the Committee. I quote the rule.........

श्री अध्यक्ष— My observations are quite clear. I am not going to invoke my powers of discretion in that way. If I am going to invoke in this way there will be no end to it. The Bill as amended by the select committee has been presented before the House. I have that power, I admit that. But there must be some limit to my discretion and that must be judicious and proper.

श्री जसवंतसिंह— I do hope that the interpretation given by my Hon'ble friend opposite is not going to be endorsed by him.

श्री अध्यक्ष— I am not to indulge in any controversy regarding the interpretation of rules.

(विराम)

Yes, Shri Amrit lal Yadav.

राजस्थान मुद्रांक विधि अनुकूलन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अमृतलाल यादव— अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडप्टेशन) संशोधन विधेयक, १९५४, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री) — Ten minutes more.

एक माननीय सदस्य—समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष— अभी तो ५ मिनिट और हैं।

श्री जसवन्तसिंह— In any case we are not going to..............................

श्री हरिकृष्ण व्यास— I have no objection if we go.... ....

वर्ग पहेलियों पर संसद द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के अधिकार सम्बन्धी राजकीय संकल्प

श्री रामकिशोर व्यास— मैं निम्न लिखित संकल्प प्रस्तावित करता हूं:

"That This Assembly do resolve that it is desirable that control and regulation of prize puzzle competitions and all other matters consequential and incidental thereto in so far as these matters are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States, should be regulated by Parliament by law. "पार्लियामेन्ट प्राइज़ पज़ल कांपिटीशन के बारे में कुछ कानून बनाना चाहती है। लेकिन इसके लिये पार्लियामेन्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। पार्लियामेन्ट द्वारा कानून बनाने के लिये स्टेट्स लेजिस्लेचर्स के प्रस्ताव होने चाहिये, इसलिये सेन्टर ने इस बारे में अपनी गवर्नमेन्ट को रेफर किया था कि अपनी एसेम्बली प्रस्ताव कर दे और पार्लियामेन्ट को अधिकार दे दे कि वह कानून बनावे; इस विषय में यह रखा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir. I have got an amendment to move.

श्री अध्यक्ष—The Hon' ble Member's amendment has been disallowed He can partake in the discussions.

श्री हरिकृष्ण व्यास— मैं मेरा अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—As rule 83 requires two days' clear notice, your amendment cannot be moved.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने पार्लियामेन्ट को इस प्रकार का कानून लागू करने के अधिकार देने के बारे में जो जिक्र किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब यह चीज स्पष्ट है कि हम इस प्रकार के कानून अपनी विधान सभा में विचार करके, अपने प्रान्त के दृष्टिकोण को सामने रख कर बनाते हैं और हम यह सोचते हैं कि किस प्रकार के कानून राजस्थान के लिए सब से ज्यादा हितकर हो सकते हैं उसी प्रकार का विचार

[श्री भोरूसिंह]

करके राजस्थान के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें हमें जनता का भी सहयोग मिलता है। राजस्थान की विधान सभा को जिस कानून को बनाने का अधिकार है उसके अनुसार कानून लाने पर यदि सदन में चर्चा होती है तो यहां की परिस्थितियों के अनुकूल संशोधनों द्वारा या अन्य साधनों द्वारा जनता की विचार-धारा सदन के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हम अपना यह अधिकार पार्लियामेन्ट को इस प्रस्ताव के द्वारा सौंप देते हैं तो राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने का हमारा जो अधिकार है उस पर हम अमल नहीं करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन के सदस्यों को अपनी परिस्थितियों को प्रस्तुत करने के लिए, कि राजस्थान में किस प्रकार का कानून लागू हो सकता है, उस पर विचार करने का और विवेचन करने का मौका दिया जाना चाहिये। आज जो परम्परा हम डाल रहे हैं कि ऐसा कानून पार्लियामेन्ट बनावे और उसको राजस्थान में भी लागू किया जाय, इस प्रकार की यदि हम सम्मति देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने सारे अधिकारों का हनन करना होगा। अपने अधिकारों का हनन करने का प्रयास इस विधान सभा को नहीं करना चाहिये। राजस्थान की विधान सभा इस प्रकार के कानून को मान्यता देने की स्वीकृति देकर मान्यता देती है तो हमारी आवाज को बंद करने का यह प्रस्ताव होगा। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह अधिकारों का प्रश्न है। अधिकारों का हनन होता है, इसलिये सदन को स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Hon'ble Speaker, Sir, Most respectfullv I submit that my amendment cannot be disallowed. A memder may object to the amendment being moved and the amendment may be disallowed but without any objection to the moving of the amendment suo moto I am afraid, sir, it cannot be disallowed. If a memebr odjects then, unless the speaker otherwise thinks, that objection shall prevail; but at the Present stage no member has objected and I therefore submit, Sir, most respectfully that my amendment cannot be disallowed and I will request your permission to permit me to move my amendment; unless some member objects-

श्री अध्यक्ष—यदि माननीय सदस्य इस तरह टैक्निल ऑब्जेक्शन्स पर जायेंगे तो हम उनको जो रियायतें देते हैं वे बंद कर देंगे। आपके संशोधन हम यहीं पर सदन की मेज पर ही ले लेते हैं और उनको अलाउ कर देते हैं। यदि आप ऐसे ही टेक्निकल ऑब्जेक्शन्स में जायेंगे तो हम उन्हें यहाँ लेना बंद कर देंगे और आपको नोटिस ऑफिस में जाना होगा और जब तक बिजनेस नहीं आयगा तब तक उनका लेना नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो लीनियेन्सी हम देते हैं उनसे ज्यादा लाभ होता है। मैंने इसे डिसअलाउ करने से पहले सम्बन्धित मंत्रीजी को दिखा दिया था। यदि उनको कोई आपत्ति नहीं होती तो में सहर्ष स्वीकार कर लेता। उन्होंने इस पर आपत्ति की, इसलिये मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। आप यदि फोर्मल रूप से फिर लाना चाहते हैं तो आप फिर पेश कर दें, ये ऑब्जेक्शन कर देंगे और मैं डिस-अलाउ कर दूंगा और इस केस में तो टेक्निकली भी करेक्ट नहीं हैं। आपने इसे कब दिया है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास— The amendment shall not be moved if a member objects,and such objection shall prevail unless two days notice has been given.

श्री अध्यक्ष— आप बताइये कौनसा रूल है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास— That is the rule.

श्री अध्यक्ष—There is only one rule, 83(2). एक ही रूल है I read it out......

श्री हरिकृष्ण व्यास— 83, Sir, Sub rule.........

श्री अध्यक्ष—Save as otherwise provided in this rule a member who wishes to move a motion shall give, in the case of a substantive motion at least 7 clear days' notice and in the case of an amendment at least two clear days' notice, in writing,of his intention to the Secretary; provided that the Speaker may, in his discretion, allow the motion or amendment on shorter notice or without notice."

There is no question of the right of an individual without sanction of the Speaker. It is quite clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास— There is another rule.

श्री अध्यक्ष— No other rule in face of 83 (2). If the Hon ' ble Member wants to speak I can allow him without moving the motion.

श्री कपिलदेव अग्रवाल— It is waste of time, sir

श्री अध्यक्ष— Without looking to rules and having frivolous objections to the authority of the Chair—I would like the member to be more respectful.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The amendment can be moved unless objection to that is raised by any member.

श्री अध्यक्ष—But the opinion of the Hon' ble Member does not count in the face of any standing rule.

कुं० श्री जसवन्त सिंह — The Hon' ble Member is talking of another rule.

श्री हरिकृष्ण व्यास—With regard to Rule 139, It is with regard to legislation.

श्री अध्यक्ष— While speaking in this House the Member should be more careful and more to the point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Rule 139th deals not only with legislation but also with amendments.

श्री अध्यक्ष— How? In this case there is a clear provision in rule 83(2).

श्री हरिकृष्ण व्यास—83(2) gives only general regulating powers.

श्री अध्यक्ष— This is the point at issue.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Now 139. I will read it, Sir.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इतनी प्रार्थना पर तो आधे घंटे का समय दिया था, पर इतना टाइम बरबाद किया जा रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— I will read the rule and make the whole thing clear.

श्री अध्यक्ष— I do not want any discussion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो रिज़ोल्यूशन की बात है, मैं इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष— My point is quite clear. If he has any doubt he can come and uss the matter in the chamber.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, then I support the motion.

श्री अध्यक्ष— They will accept it without your support.

श्री हरिकृष्ण व्यास— Unfortunately even though it is so that he may be prepared to accept it without my support, I deem it my duty to give support to a just thing.

श्री कपिलदेव अग्रवाल— यह सब ४२० है ।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास— No 420 please. I am genuinely in support of a law in this matter.

मेरा खयाल है कि जो प्रस्ताव गृह मन्त्री जी ने रखा है उसका विधान से ताल्लुक है। विधान के अनुसार जब तक अलग अलग राज्यों से प्रस्ताव पास करके पार्लियामेंट को न भेजें तब तक लोक सभा ऐसा कानून नहीं बना सकती और हम उन्हें अधिकार दे रहे हैं कि आप प्राइज़ पज़ल की रोक-थाम का कानून बनाओ। हमारा अधिकार मिलेगा तभी वे इस प्रकार का कानून बना सकते हैं। तो हमारे देश में एक प्रकार का जूआ चला हुआ है, जिसका नाम प्राइज़ पजल दिया हुआ है' कोई तो अक्षरों के ऊपर और कई आंकडों के ऊपर चलाते हैं, ३६ नं० का टोटल होना चाहिए, चाहे इधर से जोड़ो चाहे उधर से। हर कम्पीटीशन से प्रायः लाखों गरीब लोगों की ठगाई की जाती है। एक रुपया आठ आना एन्ट्री फी है, जिससे लाखों रुपया बटोरा जाता है और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन दिलाने के लिए इनाम रखा जाता है।

तो जूए को रोकने के लिये कानून होना चाहिये। थोडा सा इसमें आदमी को मेहनत का सवाल जरूर है। शब्द बनाने में मेहनत करनी पडती है, अक़िल दौडानी पड़ेगी, पर बहुत सारा हिस्सा इसका चांस पर रहता है; इसलिये इसको जूआ करार देना कानून और सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक है।

प्राईज़ पजल कम्पीटीशन से जिन लोगों का सम्बन्ध है उन लोगों पर आज से पहले, कई दिनों पहले कानून बन जाना चाहिये था। अखबारों के मालिक हैं वे प्राइज़ पज़ल बनाने वाले हैं। अब तक यह कानून नहीं बना, अब आगे बनेगा। उसको बनाते वक्त हमें अपनी मंशा जो लोक सभा को भेज सकें, वह मंशा हमारी यह होनी चाहिये कि जो कानून बने वह ऐसा बने कि उसमें किसी प्रकार की रियायत न रहे कि १० हजार का इनाम हुआ तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, बल्कि वह ऐसा होना चाहिये कि जिसमें लाइसेंस लेना तो आवश्यक रूप से जरूरी रहे और साथ ही साथ इनाम की तादाद पर बिल्कुल पाबन्दी न लगायें तो वह तादाद इतनी कम कर देनी चाहिये कि देश के करोड़ों लोग जो हैं वे इस प्रकार की फांसे पट्टी में न आवें। यह ठग विद्या की जा रही है, इसमें हमें प्रोत्साहन को कम करना है, रोकना है। यही मेरी मंशा है जिसे मैं गृह मन्त्रीजी के सम्मुख और सदन के सम्मुख पेश करना चाहता हूँ। इसका समर्थन तो करें ही, पर जोरदार शब्दों में करें। क्योंकि १००० तक तो आपने लाइसेंस की पाबन्दी नहीं लगाई है और १०००० इनाम की रकम है। २००) या ४००) रुपये के इनाम से ज्यादा की किसी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। उधर बैठने वाले जो हैं वे बहुत ठीक और ईमानदार समर्थन करते हैं, मेरा जरा हल्का समर्थन होता है; वे समर्थन करें।

श्री अध्यक्ष—और डिस्कशन चाहते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसमें तो फौर्मेलिटी का सवाल है। राजस्थान नहीं देगा तो दूसरी स्टेटें दे देंगी। यह आर्ग्युमेंट देना कि जोरदार दें, यहां न तो आर्ग्युमेंट देने का सवाल है और न कोई और सवाल है, यह तो फौर्मेलिटी है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह स्पीच तो प्रेस रिपोर्टर्स के लिए है साहब।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामकिशोर व्यास ने रखा है उसे पास किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

We now adjourn for tomorrow at 8- 30A. M.

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह में १ बज कर ७ मिनिट पर दिनांक २७ सितम्बर, १६५५ के प्रातः ८:३० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,

जयपुर,

दिनांक–२६–६–५५।

मनसाराम पुरोहित

सचिव,

राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ९ का उत्तर देखिये)

सहायता प्राप्त स्कूलों की सूची

नं० नाम संस्था	वार्षिक सहायता,
१. वनस्थली विद्यापीठ, निवाई	६०,३१२ रु०
२. एस० जी० पारीक इन्टर कालेज, जयपुर	२२,८८० रु०
३. अग्रवाल इन्टर कालेज, जयपुर	१२,६४२ रु०
४. एस० एस० जैन सुबोध इन्टर कालेज, जयपुर	१२,८०४ रु०
५. खन्डेलवाल हाई स्कूल, जयपुर	१७,००० रु०
६. महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल, जयपुर	१८,३७८ रु०
७. स्कोटिश मिशन हाई स्कूल, जयपुर	१५,७८६ रु०
८. के० डी० जैन हाई स्कूल, मदनगंज	१५,३०० रु०
९. महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल, जयपुर	१४,७४० रु०
१०. चमरिया इन्टर कालेज, फतहपुर	१५,२७० रु०
११. एस० सी० बी० पोद्दार कालेज, नवलगढ़	२०,६०० रु०
१२. सेठ मोतीलाल इन्टर कालेज, झुंझुनू	१४,८६४. रु०
१३. शारदा सदन इन्टर कालेज, मुकन्दगढ़	३०,३३६ रु०
१४. महेश हाई स्कूल, जोधपुर	१४,१९० रु०
१५. हनुवन्त हाई स्कूल, जोधपुर	१३,१४० रु०
१६. चौपासनी हाई स्कूल, जोधपुर	२०,५२५ रु०
१६ ए. प्रताप हाई स्कूल, जोधपुर	२२,४८० रु०
१७. सुमेर पुष्टिकर हाई स्कूल, जोधपुर	२५,२०० रु०
१८. सरदार हाई स्कूल, जोधपुर	२८,०९६ रु०
१९. सुमेर हाई स्कूल, जोधपुर	१६,१८५ रु०
२०. उमेद हाई स्कूल, जोधपुर	२२,४६७ रु०
२१. मोडर्न हाई स्कूल, जोधपुर	१९,४०० रु०
२२. जयचन्द बोथरा हाई स्कूल, लाडनु	१३,८५५ रु०

२३. श्री महावीर मिडिल स्कूल, लाडनु	१२,७०८ रु०
२४. पारसनाथ इन्टर कॉलेज, फलाना	१८,३६८ रु०
२५. श्री पारसनाथ हाईस्कूल, वरकाना	१२,६७८ रु०
२६. श्री जैन कालेज, बीकानेर	१७,६६६ रु०
२७. श्री जै० एस० आर० जैन इन्टर कालेज, बीकानेर	३५,६१० रु०
२८. सादूंल पुष्करना हाई स्कूल, बीकानेर	१२,६४२ रु०
२६. म्युनिसिपल बोर्ड, बीकानेर	४०,३०० रु०
३०. ग्रामोत्थान विद्यापीठ हाई स्कूल, सांगरिया	१८,६६० रु०
३१. एस० आर० हाई स्कूल, रतनगढ़	१८,६६४ रु०
३२. म्युनिसिपल बोर्ड, चूरू	१२,८५० रु०
३३. म्युनिसिपल बोर्ड, सुजानगढ़	१४,६०० रु०
३४. राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर	२६,७४५ रु०
३५. गांधी विद्यालय, गुलाबपुरा	१८,१४८ रु०
३६. राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर	४५,६२० रु०
३७. भोपाल नॉबल हाई स्कूल, उदयपुर	२४,६४० रु०
३८. विद्या भवन हाई स्कूल, उदयपुर	४२,१६२ रु०
३६, महिला मंडल, उदयपुर	३०,१६६ रु०
४०. हैड ऑफिस विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर	१६,००० रु०
४१. म्युनिसिपल एरिया स्कूल, बून्दी	१२,६६१ रु०
४२, महिला विद्यापीट, भुसावर	१३,४२८ रु०
४३. बाल निकेतन, जोधपुर	१७,४६८ रु०
४४. सार्वजनिक मिडिल स्कूल, सरदारपुरा, जोधपुर	१२,६८२ रु०

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १५ का उत्तर देखिये)

LIST OF LOAN GRANTED TO THE INDUSTRIES OF JAIPUR DISTRICT.

NO.	Name	Loan amount Sanctioned or actually paid	General Remarks
1.	M/s Bankiwal Handloom Fectory, Jaipur.	5,000/-	paid.
2.	M/s Rajendra flour & oil mill, Sanganer.	4,000/-	Paid.
3.	M/s Chandulal Gupta, Alwar.	5,000/-	Paid.
4.	M/s Surendra Cottage Industries Institute, Ghat Gate, Jaipur.	5,000/-	Paid.
5.	M/s Kuteer Udyog Sahkari Samiti, Jaipur	5,000/-	Paid.
6.	M/s Hand made Paper Makers Co-operative Society Ltd., Sanganer.	10,000/-	Paid.
7.	M/s Rajasthan Chemical Paint Industries, Jaipur	3,000/-	Paid.
8.	M/s Pyare lal S/o Guntiram, Alwar.	5,000/-	Paid.
9.	Chottey lal Panchalia, Jaipur.	3,000/-	Paid.
10.	Vishwakarma iron works, Bandikui.	4,000/	Paid.
11.	Bhagwat Swaroop Bhargava, Alwar.	5,000/-	Paid.
12.	M/s Ram Kumar Ram, Mahawa Electric Press, Alwar.	5,000/-	Paid.
13.	M/s Shiv Ram Vidhaya Shanker, Alwar	4,000/-	Paid.

Page No.85

14. M/s Hiralal Jagdeo Prashad, Alwar.	5,000/-	Sanctioned.
15. M/s Ganesh Narain Khanna, Prop. Hindu Soap works, Jaipur.	5,000/-	Paid.
16. Shri D. D. Sharma Prop., Deealco Transfer Manufacturing, Jaipur	3,000/-	Paid.
17. M/s Hind Aurvedic Pharmacy, Jaipur	3,500/-	Sanctioned.
18. M/s Ram Kishore Chianai lal, Jaipur	5,000/-	Paid.
19. M/s Kashi nath Gupta, Navyug Press, Bharatpur.	5,000/-	Sanctioned.
20. M/s General Store, Alwar.	5,000/-	Sanctioned
21. M/s Jai Mahesh Singh Alwar.	5,000/-	Sanctioned.
22. M/s Rajan Radio's Jaipur.	5,000/-	Sanctioned.
23. M/s V.R. Bharat Training Co., Jaipur,	2,000/-	Sanctioned.
24. M/s Pushpalata Hosiery Factory, Jaipur	5,000/-	Sanctioned
25. M/s Vijay Metal Industries, Jaipur.	10,000/-	Sanctioned.
26. M/s Mital Chemical Industries, Bharatpur.	3,000/-	Sanctioned.
27. M/s National Dyeing Printing works, Madanganj, Kishangarh.	5,000/-	Sanctioned.
28. M/s Choudhary Handloom Factory, Madanganj, Kishangarh.	5,000/-	Sanctioned.
29. Navyug press, Gangapur.	2,000/-	Sanctioned.
	1, 36, 500/-	

परिशिष्ट २

THE RAJASTHAN RULES FOR THE ADVANCE OF LOANS FOR DEVELOPING COTTAGE AND SMALL SCALE INDUSTRIES.

1. These rules may be called "The Rajasthan Rules for the advance of lonas for developing Cottage & Small Scale Industries."

2: These rules shall come into force from December, 1, 1954.

3. Loans may be granted to Co-operative Societies, individuals or registered bodies for extending and developing Cottage &Small Scale Industries in Rajasthan and for no other purposes upto a maximum of Rs.5,000 - in the case of individuals and of Rs. 10,000/-in the case of Co-operative Societies and registered bo dies. Loans to Co-op-erative Societies may de advanced subejct to their maximum borrowing capacity under any law, enactment or rules for the time being in force and applicable to them. provided that no loans shall be advanced to a primary society which is a member of a Central Bank without the special sanction of the Registrar of Co-operative Societies.

4. (a) Government shall appoint a Committee consisting of the following:-

1. Honourable Minister for Industries	President
2. Two non-official members	Members
3. Secretary, Industries & Commerce	,,
4. Director of Industries & Commerce	,,
5. Finance Secretary	,,
6. Dy. Director of Industries & Commerce	Secretary.

(b) The power to grant loans shall vest in the Committee.

(c) Applications for Loans received under rule 7 shall be placed by the Dy. Director of Industries & Commerce before the Committee which will sanction loans to suitable applicants upto the maximum amount specified in rules 3.

(d) The sanction accorded by the Committee will be communicated to audit by the Director of Industries & Commerce.

5. Loans advanced under these rules shall bear interest at the rates specified in the order sanctioning the grant of the same. The rates of interest to be charged from an individual or body on a loan advanced under these rules shall be fixed by Government at the beginning of every financial year and will ordinanyl not exceed by more than 4%

6. Loans shall be repaid in instalments fixed in the order sanctioning the grant of the same. Instalments for the recovery of a loan shall be worked out in accordance with the rates prescribed in Appendix III of the Accounts Code, 1934. Edition and the maximum Period during which the loan shall be repaid with Interest whioh has accrued thereon, shall be seven years. The sanctioning authority will determine the period after which the first instalment will fall in such a manner that the repayment of the first instalment may not cause any hardship. The Director of Industries & Commerce shall have power to extend total time for the repayment of the loan by one year only. Any further extension can only be granted by the Government on the commendation of the Committee in exceptional cases.

7.. An application for tne grant of a loan shall be made to the Director of Industries, Rajasthan, Jaipur on the presceribed form given in Appendix 'A' through the Divisionl Officers of Industries Department or the Collector of the District in which the applicant resides.

8. Every application for loan under rule 7 shall be accompanied by a full description of the security which the applicant is willing to offer for the loan applied for and no loan shall be advanced under these rules unless the security deemed by the sanctioning authority in its discretion to be sufficient is given by the petitioner provided that Government may in its discretion waive this condition without prejudice to the exercise of discretion by the sanctioning authority. A loan advanced under these rules must be secured by one or more of the following securities.

(a) Marketable securities, such as Government bonds, Postal Cash-Certificates, Stocks and shares of first class companies like Railways etc.

(b) Personal security of solvent Persons.

(c) Landed Property.

(d) Life Policies, shares, debentures.

(e) Full details about the security should be given to enable the sanctioning authority to form a concrete opinion about sufficiency or otherwise. In case of security of immoveable property a certificate of the Sub-Registrar-Tehsildar to the effect that it is not in any way encumbered shall accompany the application. Loans to Co-operative Societies shall be advanced through and on the security of Central Banks only. The sanctioning authority ahall be the final judge of the value of the security offered.

9. Before a loan is advanced under these rules the applicant borrower shall sign an agreement in favour of the Government of Rajasthan convenanting to abide by the following terms:—

(a) That the amount of loan shall be utilised for the purpose for which it is given and for no other purposes.

(b) That the loan together with interest shall be repaid in the instalments fixed by the sanctioning authority.

(c) That he shall pay interest on the sum advanced by way of loan at the rate fixed by the santioning authority.

(d) That he shall furnish a monthly statement of full accounts to the Director of Industries & Commerce showing how the loan is being spent and a quarterly report about the progress of the industry.

(e) That he shall allow the Director of Industries & Comm. or any officer deputed by him for the purpose to inspect the accounts and to see whether the value of the security given has in any way undergone depreciation or not.

(f) That he shall, when called upon to do so make up any depreciation in the value of the security given according to the decision ofthe Director of Industries & Commerce.

(g) That he shall hypothecate to the Rajpramukh of Rajasthan all machinery tools ahd materials building etc., Purchased or constructed out of the loan.

(h) That in case he fails to pay the instalments in which the loan with interest is payable under the rules or fails to fulfil any term or Condition on which the loan has been advaneed, the Government shall have power to realize the same from the sale of the property given in security or any other property belonging to the applicart in respect thereo .

(i) That he shall pay the stamp duty payable on the agreement under any law for the time being in force.

(10) The rules in any Articles 357-361 of General Financial and Account Rules relating to conditions of repayment of loans, calculation of interest, defaults in payment thereof and eforcement of penal rates of compound interest upon over due instalments shall apply to all loans advanced under these rules.

....

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १९ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE STRENGTH OF THE STUDENTS IN EACH COLLEGE AND THE RESULTS DURING THE LAST FOUR YEARS

Name of College.	Total No. of Girls.	Year.	Percentage.
1. Maharani Suderashan College, Bikaner.	227	1951-52	92.85
		1952-53	72.22
		1953-54	76.16
		1954-55	50.
2. Raj Mahal Girls College, Jodhpur	485	1951-52	90.47
		1952-53	84.61
		1953-54	82.85
		1954-55	86.04
3 Maharani Girls College, Kotah.	275	1951-52	80.
		1952-53	73.68
		1953-54	84.78
		1954-55	70.73
4. Maharani's College, Jaipur. B. A.	31	1952-53	90%
	41	1953	90%
	30	1954	93%
	48	1955	90%
Inter Arts.	58	1952	75%
	67	1953	97%
	66	1954	94%
	95	1955	93%
Inter Science	25	1955	54%

———

परिशिष्ठ ५

प्रश्न संख्या २२

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

सांचोर तहसील के स्कूलों की सूची निम्न प्रकार है

१.	राजकीय माध्यमिक पाठशाला, सांचोर			
२.	राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सांचोर			
३.	,,	,,	अरनाथ का गोलिया	
४.	,,	,,	बालासर	
५.	,,	,,	वाबरला	
६.	,,	,,	चितलवाना	
७.	,,	,,	,,	डांवला
८.	,,	,,	,,	गुड़ा हेमा
९.	,,	,,	,,	सरनाऊ
१०.	,,	,,	,,	पांचला
११.	,,	,,	,,	फाद
१२.	,,	,,	,,	करोला
१३.	,,	,,	बुरान का तला	
१४.	,,	,,	विसासर	
१५.	,,	,,	भवातड़ा	
१६.	,,	,,	गंगासरा	
१७.	,,	,,	खारा	
१८.	,,	,,	सांकड़	
१९.	,,	,,	हाड़ेचा	
२०.	,,	,,	अरनाई	
२१.	,,	,,	अचलपुरा	
२२.	,,	,,	बिछाबड़ी	
२३.	गोलासन	,,	गोलासन	
२४.	,,	,,	गलिफा	

[रिशिष्ट ५]

२५.	,,	,,	हरियाली.
२६.	,,	,,	कैरीया.
२७.	,,	,,	खिरोड़ी.
२८.	,,	,,	पुर.
२९.	,,	,,	शोबाला.
३०.	,,	,,	पाड़ी का निवास.
३१.	,,	,,	साऊ.
३२.	,,	,,	गुन्दाऊ.
३३.	,,	,,	शैड़वा.
३४.	,,	,,	जांगल.

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या २४ का उत्तर देखिये)

आई० ए० एस० ओफिसरों की सिनियोरिटी लिस्ट

क्रम संख्या	नाम
१.	श्री किशन पुरी
२.	श्री कामता प्रसाद गुप्ता
३.	श्री शान्ती लाल अहुजा
४.	श्री रुप नारायण
५.	श्री श्यामलाल
६.	श्री एम. यू. मेनन
७.	श्री भवंर लाल रावत
८.	श्री जय नाथ कुंजरू
९.	श्री कवंर बहादुर माथुर
१०.	श्री भावत सिंह मेहता
११.	श्री दौलत सिंह
१२.	श्री हेतुदान उज्वल
१३.	श्री केसरीसिंह रावत
१४.	श्री लक्ष्मी लाल जोशी
१५.	श्री गोवर्धन सिंह मेहता
१६.	श्री एम. पी. यू. मेनन
१७.	श्री सांवल दान उज्वल
१८.	श्री भवंर लाल शर्मा
१९.	श्री बलवन्त सिंह
२०.	श्री राम निवास हावा
२१.	श्री सरदारी लाल कक्कड़
२२.	श्री रामेश्वर दयाल माथुर
२३.	श्री खेम चन्द
२४.	श्री गजेन्द्र सिंह

क्रम संख्या	नाम
२५.	श्री जोरावर सिंह झाला
२६.	श्री गंगा सहाय पुरोहित
२७.	श्री जे. बी. के. हूजा
२८.	श्री गोकुल लाल मेहता
२९.	श्री चन्द्र शेखर गुप्ता
३०.	श्री सुन्दर लाल सुराना
३१.	श्री मोहन मुकर्जी
३२.	श्री राय धर्मवीर थापर
३३.	श्री असीम कुमार राय
३४.	श्री राधा किशन चतुर्वेदी
३५.	श्री हिम्मत सिंह
३६.	श्री सत्य प्रसन्न सिंह भन्डारी
३७.	श्री विमल चन्द मुकर्जी
३८.	श्री गोवर्धन सिंह चौधरी
३९.	श्री विक्रम प्रकाश सूद
४०.	श्री राज कुमार
४१.	श्री गोर्वधन सिंह
४२.	श्री सम्पत मल भन्डारी
४३.	श्री राम सिंह (१)
४४.	श्री बृज मोहन नाथ तनखा
४५.	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव
४६.	श्री सुरेन्द्र सिंह निर्वाण
४७.	श्री जान नाथ पुरोहित
४८	श्री विष्णु दत्त शर्मा (१)
४९.	श्री विष्णु दत्त शर्मा (२)
५०.	श्री शिव शंकर
५१.	श्री के. एम. ललवानी
५२.	श्री बैज नाथ मलहान

क्रम संख्या	नाम
५३.	श्री जी. के. मैनोट
५४.	श्री शेर सिंह
५५.	श्री मौहिन्द्र सिंह
५६.	श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी
५७.	श्री नारायण चन्द्र भटनागर
५८.	श्री भीम सिंह
५९.	श्री बृजराज वहादुर
६०.	श्री मनमोहन कोहली
६१.	श्री राजकुमार शास्त्री
६२.	श्री मदन मोहन के. वाली
६३.	श्री आनन्द मोहन लाल सक्सेना
६४.	श्री दिनेश किशोर सक्सेना
६५.	श्री ए. एल. रूंगटा
६६.	श्री बी. सी. पान्डे
६७.	श्री आर. के. सक्सेना

आई० पी० एस० ऑफिसरों की सीनियोरिटी लिस्ट

क्रम संख्या	नाम
१.	श्री गौवर्धन
२.	श्री नरेशचन्द्र घोष
३.	श्री सरदारसिंह
४.	श्री आर. एन. राय
५.	श्री सन्तराम शर्मा
६.	श्री जसवंतसिंह
७.	श्री हनुमान शर्मा
८.	श्री देवीन्द्रसिंह साही
९.	श्री शान्तीप्रसाद भार्गव
१०.	श्री कैलाशनाथ सोरल
११.	श्री सुल्तानसिंह राटोड़
१२.	श्री नरेन्द्रचन्द्र दत्त
१३.	श्री डी० आम्माध
१४.	श्री नरेन्द्रनाथ दीवान
१५.	श्री मूलचरन दास चडी
१६.	श्री हिम्मतसिंह
१७,	श्री गणेशसिंह
१८.	श्री डी० एन० पुरोहित
१९.	श्री एम. पी. त्रिपाठी
२०.	श्री ललितमोहन
२१.	श्री अमरसिंह
२२.	श्री एम. एम. शर्मा
२३.	श्री सौभागमल सुराना
२४.	श्री उदयसिंह मेहनोट
२५.	श्री पनेसिंह
२६.	श्री लक्ष्मीशंकर दशोहरा
२७.	श्री भक्तावरलाल

Page No.97

क्रम संख्या	नाम
२८.	श्री हमीरसिंह
२९.	श्री मनोहरसिंह हिरन
३०.	श्री गुमानसिंह
३१.	श्री भवानीमल
३२.	श्री डी. पी. गुप्ता
३३.	श्री जी. सी. सिंघी
३४.	श्री सुभाषचन्द्र टन्डन
३५.	श्री महेश किशोर सक्सेना
३६.	श्री जय कृष्ण खेमचन्द
३७.	श्री हरिनारायण काक
३८.	श्री रघुनाथ सिंह
३९.	श्री डी० के० दत्त
४०.	श्री पूरन चन्द्र मिश्रा
४१.	श्री जय प्रकाश शर्मा

परिशिष्ट ७

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्न समय में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

२९. (३/सी.एम.) श्री जवानसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ६७:—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने जागीरों के पुनर्ग्रहण के पश्चात् जागीरदारों को उनके निजी मकानों के पट्टे बना कर दिये है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं और अब किस रूप में टाईटिल डीड दिये जायेंगे ?

उत्तर

(क) जी, नहीं।

(ख) एक्ट में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है कि टाइटिल डीड सरकार बनाकर देवे।

प्रश्न

३०. (१२/सी.एम.) श्री सरदारसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १३७:—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या तहसील हैड क्वार्टर्स उनियारा से अलीगढ़ तब्दील किये गये हैं ?

(ख) अगर हां, तो किन किन आधारों पर ऐसा किया गया है ?

(ग) क्या ऐसा करने में जनता की राय मालूम की गई थी ?

(घ) क्या यह सही है कि जन संख्या, तहसील के बीच में स्थित होने व ज्यादा सुविधाओं के प्राप्त होने के आधार पर उनियारा अलीगढ़ से ज्यादा उपयुक्त है ?

(ङ) क्या जनता ने विरोध में कोई आन्दोलन किया ?

(च) सरकार ने किन मुद्दों पर आन्दोलन को समाप्त किया ?

(छ) सरकार भविष्य में इस ओर क्या कदम ले रही है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही ऐसा किया गया है।

(ग) प्रश्न (ख) का उत्तर इस विषय में पर्याप्त है।

(घ) वस्तु स्थिति की पूर्ण जांच के बिना इस निर्णय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ङ) जी हां।

(च) सरकार जनता की इस मांग पर विचार करेगी।

(छ) यह सरकार ने विचाराधीन है।

प्रश्न

३१. (७/आर.एम.) श्री किशनलाल शाह, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर ७८:—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ऐसे महन्तों के विरूद्ध कार्यवाही करती है जो मंदिर की सार्वजनिक सम्पत्ति को ऐश आराम में खर्च करते हैं ? यदि हां, तो कितने महन्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गई, और कितने महन्तों को पदच्युत किया गया ?

उत्तर

पुरानी प्रथानुसार शिकायत पेश होने पर महन्तों के विरूद्ध जांच की जा कर उचित कार्यवाही की जाती है। जैसे कि सन् ५४ में महन्त श्री नारायणदास मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान चन्दवाजी तहसील जमवारामगढ़ को पदच्युत किया गया।

प्रश्न

३२. (६/सी.एम.) श्री जवानसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ६७:—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[परिशिष्ट ७]

(क) सिरोही जिले में कितने लाग (cesses) जैसे कुदिया, घाणी इत्यादि भी खालसा की जनता से सरकार वसूल कर रही है ?

(ख) इनके बन्द करने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

(ग) उपरोक्त लाग कब तक बन्द कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(क) इस प्रकार की लाग वसूल न करने के लिये स्टे ऑर्डर जारी कर दिये गये हैं।

(ख) तमाम लाग बागों के बारे में एक कमेटी नियुक्त की गई है। उसकी रिपोर्ट आने पर आज्ञा दी जावेगी।

(ग) इसका उत्तर प्रश्न (ख) के उत्तर में ही आजाता है।

प्रश्न

३३. (१३/सी.एम.) श्री तनसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १४८:—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भू-स्वामी संघ का सत्याग्रह बन्द करवाने में किन किन व्यक्तियों ने मध्यस्थता की थी ?

(ख) क्या सत्याग्रह को समाप्त करने के समय किसी प्रकार का कोई समझौता हुआ था ?

(ग) उस समझौते पर भू-स्वामी संघ की ओर से किन किन व्यक्तियों ने तथा सरकार की ओर से किन किन व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये थे ?

उत्तर

(क) कई व्यक्तियों ने बीच में बातचीत की थी लेकिन वे अनोपचारिक होने के कारण उनके नाम यहां देना उचित नहीं हैं।

[परिशिष्ट ७]

(ख) समझौते का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन भूस्वामी संघ की तरफ से कुछ बातें रखी थीं जिनको सरकार ने स्वीकार किया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

३४. (१४/सी.एम.) श्री सरदारसिंह, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर १३७:—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) भूतपूर्व टिकाना उनियारा में क्या क्या स्थान पुरातत्व विभाग में रखे गये?

(ख) उनकी देख-रेख एवं हिफाजत के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध कर रखा है?

उत्तर

(क) भूतपूर्व ठिकाना उनियारा में नगर स्थित खेडा, मान्डकिला तालका लेख (मंदिर में लगा हुआ) तथा यूप स्तम्भ (वित्रपुरिया मंदिर में) ये तीनों भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में रखे गये।

(ख) इनकी सुरक्षा का भार भारत सरकार के पुरातत्व विभाग पर है।

प्रश्न

३५. (६/आर.एम.) श्री चांदमल मेहता, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर ८७:—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किशनगढ़ महाराजा के प्रिवीपर्स में कौन २ से गांव और कितनी २ भूमि रखी गई है?

(ख) उक्त गांवों की भूमि के किसानों में से किन २ को सैटिलमेण्ट के परचे दिये जा चुके हैं?

(ग) ऐसे कितने किसानों के कितने परचे हैं जो सेटिलमेन्ट ऑफिस में रुके हुए हैं?

(घ) उक्त परचे तकसीम होने से रोकने की आज्ञा कब और किस अधिकारी द्वारा दी गई?

[परिशिष्ट ७]

उत्तर

(क) महाराजा किशनगढ़ अपनी निजी सम्पति में निम्नलिखित भूमि के दावेदार हैं।

नाम ग्राम	क्षेत्रफल.
१. किशनगढ़ (भाग)	३८६५.१२
२. परसिया	३००३.०
३. राटोडों की ढाणी	१६०६.१४
४	योग ८,४७५.६

उनका दावा सरकार के विचाराधीन है।

(ब) सम्पूर्ण लगान के पर्चों की संख्या जो तैयार किये गये, बांटे गये और बांटे जाने वाले निम्न प्रकार हैं:

नाम ग्राम	परचे लगान बांटे गये	परचे लगान नहीं बांटे गये	योग
१. किशनगढ़ भाग	१३	१३५	१४८
२. परसिया	८३	२३	१०६
३. राटोडों की ढाणी	८	३०	३८
योग	१०४	१८८	२९२

(स) इसका उत्तर (ब) के उत्तर में सम्मिलित है।

(ग) किशनगढ़ महाराजा साहब के दावों के कारण पर्चे बांटने रोके गये थे।

प्रश्न

३६. (१५/सी.एम.) श्री **सरदारसिंह, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर १३७:—क्या** शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि उनियारे से हाई स्कूल का स्थानान्तर अलीगढ़ किया जा रहा है? अगर हां तो किन आधारों पर?

[परिशिष्ट ७]

(ख) क्या स्कूल के इस स्थानान्तर करने के सम्बन्ध में डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, टोंक को कोई आदेश दिया गया है ?

(ग) अगर नहीं, तो उक्त कर्मचारी इसमें क्यों सक्रिय भाग ले रहा है ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न

३७. (१२/आर.एम.) श्री चांदमल मेहता, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर ८७:— क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की सीनियरिटी लिस्ट कब प्रकाशित की गई ?

(ख) उक्त लिस्ट के खिलाफ कितने रिप्रेज़ेएटेशन पेश हुए ?

(ग) उक्त रिप्रजेन्टेशन का फैसला कब किया गया ?

(घ) रिवाइज़्ड लिस्ट अब तक प्रकाशित नहीं करने के क्या कारण हैं।

उत्तर

(क) तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की अस्थाई सीनीयोरिटी लिस्ट राजस्थान राजपत्र के विशेषांक वॉल्यूम ६, संख्या, ६६ तारीख १८. ८. ५४ में प्रकाशित की गई है।

(ख) उक्त लिस्ट के खिलाफ १६७ रिप्रेज़ेन्टेशनस् पेश हुये हैं।

(ग) उक्त रिप्रेज़ेन्टेशनस् का फैसला चैयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा भिन्न भिन्न तारीखों पर किया गयां।

(घ) रिवाइज़्ड लिस्ट अभी सरकार के विचाराधीन है और अब शीघ्र ही प्रकाशित होने को है।

[परिशिष्ट ७]

प्रश्न

३८. (२१/सी.एम.) श्री जसवन्तसिंह एम. एल.ए., डिविज़न नम्बर ६६:—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) विधान सभा के सदस्यों से गवर्नमेंन्ट होस्टल में ठहरने का जो किराया लिया जाता है क्या उससे ज्यादा किराया दूसरे सरकारी कर्मचारियों व प्राईवेट व्यक्तियों से लिया जाता है ?

(ख) अगर हां, तो कितना फर्क है ?

(ग) क्या यह सही बात है कि अपने मित्रों को सहायता पहुँचाने की दृष्टि से कुछ, माननीय सदस्य अपने नाम से स्थान लेकर सरकारी कर्मचारियों या प्राईवेट व्यक्तियों को स्थान दिला देते हैं ?

(घ) क्या सरकार ऐसे काम को ऐतराज के लायक नहीं समझती है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) कमरे के किराये जो विधान सभा के सदस्यों एवं दूसरे व्यक्तियों से लिये जाते हैं उसका विवरण (लिस्ट ए) सदन की मेज पर है।

(ग) जी हां।

(घ) ऐसा करना ऐतराज के लायक है। इसको रोकने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

लिस्ट ए

राजकीय प्रवास भवन के कमरे के किरायों का विवरण

	किराया विधान सभा के सदस्यों से			अन्य व्यक्तियों से		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—एक कमरा बाथ रूम के साथ	१	४	०	२	८	०
२—एक कमरा (कोमन बाथ रूम)	१	०	०	२	०	०
३—डबल कमरा बाथ रूम के साथ दो सदस्यों को	१	१२	०	४	०	०
४—डबल कमरा (कोमन बाथ रूम) एक व्यक्ति अथवा सदस्य को	१	८	०	३	८	०

प्रश्न

३६. (४६/सी.एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर ६४:-क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि संस्कृत कॉलेज़, उदयपुर व नाथद्वारा ही समस्त राजस्थान में ऐसे दो कॉलेज़ हैं जहां के अध्यापकों का फिक्सेशन नहीं हो पाया है ?

(ख) यदि हां, तो इनका फिक्सेशन कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) कार्यवाही की जा रही है, शीघ्र ही इस प्रश्न को हल कर दिया जावेगा।

प्रश्न

४०. (१६/आर.एम.) श्री चांदमल मेहता, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर८७:—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) किशनगढ़ सब-डिविज़न के ऐसे कौन २ व्यक्ति हैं जिनको उक्त विभाग से मिलने वाली रकम १९५२ के बाद बंद कर दी गई है ?

(ख) उक्त व्यक्तियों की रकुमात बन्द होने के क्या कारण है ?

उत्तर

(क). (ख). देवस्थान से किशनगढ़ में जिन व्यक्तियों को नकद रकम मिलती थी उसे बन्द करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। रिपोर्ट कमिश्नर से ऐसा प्रतीत होता है कि ८ या ९ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें किसी को २. रुपया १३ आने ६ पाई सालाना, कुछ को ५ रु० से १० रुपये सालाना तक व कुछ को १७ रु० से ३७ रुपये सालाना तक मिलते हैं। इन आठ नौ व्यक्तियों की रकम बजट में दर्ज न होने के कारण नहीं मिल सकी है। लेकिन इसकी तहकीकात हो रही है और वाजिब रकम दे दी जावेगी।

४१. (३३/आर.एम.) श्री धरमचन्द, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर ३६—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सपोटरा कस्बे में "दीवान का बाग" नाम की जमीन किस खाते में है ? उस व्यक्ति का पूरा नाम व पता बताने की कृपा करें ?

(ख) उक्त भूमि किस सम्वत् में किस शर्त पर दी गई थी ? पूरा एग्रीमेन्ट जो लिखा गया हो, बताने की कृपा करें ?

(ग) जिस वर्ष से उक्त भूमि दी गई है तब से अब तक किस किस वर्ष में क्या २ फसल पैदा की गई है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि उस एग्रीमेन्ट की जिसके जरिये भूमि दी गई थी, पाबन्दी नहीं की जा रही है ? ऐसी हालत में सरकार ने क्या कार्यवाही की और आगे क्या करने का विचार है ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

४२. (१६/सी.एम.) **श्री सरदारसिंह, एम.एल.ए., डिविज़न नम्बर १३७:**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या उनियारा में कोई गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय है ?

(ख) अगर है, तो इसकी स्थापना कब हुई ?

(ग) क्या इस पुस्तकालय को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है ?

(घ) यदि मिलती है, तो कितनी ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) सरकार के पास इसकी सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पुस्तकालय की ओर से निर्धारित आवेदन फार्म भर कर आने पर विचार किया जायगा।

प्रश्न

४३. (३४/आर.एम.) **श्री धरमचन्द, एम.एल.ए, डिविज़न नम्बर ३६:**—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) काली सिंल बांध के पेटे (डूब) में व नहर में प्रत्येक गांव की कितनी कितनी जमीन आई है ?

(ख) क्या किसानों को जमीनों के बदले दूसरी जमीन दे दी गई है या उनको मुआवजा दिया गया है ?

(ग) यदि मुआवजा दिया गया है तो कितना कितना ?

(घ) अगर नहीं, तो क्यों और अब कब तक दिया जायेगा ?

उत्तर -

(क) कालीसिंल बांध के पेटे में २२४३ बीघा और १५ बिसवा जमीन आई है जो इस प्रकार से है ।

१.	अमरगढ़	१५० बीघा
२.	डोंगरी	१४० ,,
३.	वाजना	२७३ ,,
४.	लोहटरी	३६२ ,,
५.	रावदरा	२४३ ,,
६.	वामनपुरा	११५ ,,
७.	दर्की	१२८ ,,
८.	अमरवार	४३४ ,,
९.	नरोली	३६६ ,,

(ख) जो जमीन पूरे साल तक डूब में रहेगी उसका पूरा ब्योरा नवम्बर या दिसम्बर से पहले प्राप्त नहीं हो सकता इसलिये जमीन के मुआवजे का सवाल सारी परस्थिति साफ होने पर लिया जावेगा ।

(ग) कुल मुआवजा १,२०,१३५ रुपया ४ आने अदा कर दिया गया है ।

(घ) जब यह ज्ञात हो जावेगा कि कितनी जमीन में बिल्कुल काश्त नहीं हो सकेगी तब मुआवजा जल्द दे दिया जावेगा ।

प्रश्न

४४. (२०/आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ८७:—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ में चरागाह की भूमि घोषित नहीं की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) यदि चरागाह की भूमि घोषित की जा चुकी है तो कब और किन २ नम्बरों की कितनी २ भूमि है ?

उत्तर

(क) ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ में कोई चरागाह की भूमि नहीं है।

(ख) सिलोरा के मवेशी किशनगढ़ चरागाह में चरते हैं।

(ग) चूंकि चरागाह की भूमि है ही नहीं इसलिये कोई चरागाह घोषित नहीं हो सकी।

प्रश्न

४५. (४७/सी.एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ६४:—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार इसी वर्ष में कपासन जिला चित्तोड़गढ़ हाईस्कूल में कॉमर्स व विज्ञान के विषय शुरू करने का विचार करती है ?

उत्तर

(क) जी नहीं। आगामी वर्ष में इस पर विचार किया जावेगा।

प्रश्न

४६. (३६/आर.एम.) श्री धरमचन्द, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ३६:—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सपोटरा तहसील के तहसीलदार के लिये क्वार्टर बनवाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(ख) क्या कोई रकम इसके लिये स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

४७. (४८/सी.एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६४:— क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में समस्त तहसीलों में एकाउन्ट्स का काम आज-कल अंग्रेजी में होता है ?

(ख) क्या यह सही है कि क्लर्क अंग्रेजी न जानने की वजह से ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, दिक्कत पडती है और कार्य के होने में देरी होती है ?

(ग) क्या राजस्थान में तहसीलों का यह कार्य सरकार फिर से हिन्दी में करने का विचाते रखती है ?

(घ) अगर हां, तो कितनी जल्दी हिन्दी में कार्य कराने का विचार है ?

उत्तर

(क) जी नहीं, अकाउन्ट्स का कार्य तो हिन्दी में होता है. केवल अंक अंग्रेजी में लिखे जाते हैं।

(ख) अंक ज्ञान ही हरेक का अंग्रेजी का होने से कार्य ठीक हो जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि काम हिन्दी में हो रहा है ।

(ङ) यह भी प्रश्न पैदा नहीं होता ।

प्रश्न

४८. (३८/आर.एम.) श्री धरमचन्द, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ३६:—क्या राजस्व मन्त्री निम्मलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील सपोटरा व सब–तहसील मेंडरापुर में कितने २ पटवारी हैं ?

(ख) पटवारी को अपने हल्के में एक वर्ष में कितने दिन तक रहना जरुरी है ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि यह पटवारी अपने हल्के में न रह कर घरों में रहते हैं और इस प्रकार काम में ढील पड़ी रहती है ?

(घ) भविष्य में ऐसा करने पर इन पटवारियों के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

उत्तर

(क) तहसील सपोटरा में २४ और मंडरामपुर में १२ पटवारी हैं ।

(ख) पटवारी को अपने हल्के में, सिवाय १ तारीख मुकर्रा के जब वह वेतन लेने आवे, बाकी सब दिन अपने हल्के में रहना पड़ता है ।

(ग) ऐसा मालूम होने पर ही पटवारियान को अपने हल्के में रहने के लिये पाबन्द कर दिया गया है । जहां हैडक्वार्टर नहीं है वहां के पटवारियों को तहसील में रहने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(घ) जिन पटवारियों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें होंगी उनके विरुद्ध सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी ।